[Sardar A. S. Saigal]

Bills and Resolutions, presented to the House on the 14th December 1960."

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That this House agrees with the Seventy-fourth Report of the Committee on Private Members Bills and Resolutions presented to the House on the 14th December 1960."

The motion was adopted.

14.36 hrs.

RESOLUTION *RE*: NATIONALISATION OF GENERAL INSURANCE—*contd.*

Mr. Deputy-Speaker: The House will now take up the first item in the List of Business, namely "Submission to the vote of the House the following resolution moved by Shri T. B. Vittal Rao on the 18th November 1960:—

"This House is of opinion that General Insurance should be nationalised."

The House will recall that on the 2nd December 1960 after the discussion had concluded, the House wanted to divide on the resolution. It being past 5 P.M. then the Division was postponed till today. I will now put the resolution to the vote of the House. The question is:

"This House is of opinion that General Insurance should be nationalised."

Those in favour will say 'Aye'.

Some Hon. Members: Aye.

Mr. Deputy-Speaker: Those against will say 'No'.

Several Hon. Members: No.

Mr. Deputy-Speaker: The 'Noes' have it.

The Resolution was negatived.

14.38 hrs.

RESOLUTION *RE*: NEW MARKING SYSTEM OF VOTING—*contd.*

Mr. Deputy-Speaker: The House will now take up further discussion of the following Resolution moved by Shri Bibhuti Mishra on the 2nd December 1960:—

"This House is of opinion that the new marking system of voting tried as an experimental measure during recent bye-elections to Lok Sabha and State Assemblies has not proved successful and hence it should not be adopted in future elections."

Shri Bibhuti Mishra may continue his speech. Does he want to continue even after 34 minutes? He may conclude in two or three minutes.

श्री विभूति मिश्र (बगहा) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले २ दिसम्बर, को मैंने अपने न्यू मार्किंग सिस्टम ऑफ वोटिंग संबंधी प्रस्ताव पर सदन के सामने जो निवेदन किया था उसके आगे आज मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने अखबार में तो नहीं देखा है लेकिन कुछ समालोचकों ने यह कहा है कि इस प्रकार का प्रस्ताव इसलिये लाये हैं क्योंकि वे चुनाव में जीतते नहीं हैं । मैं इस अवसर पर इस भरी सभा में चैलेंज करता हूं कि जिन्दगी में मैंने चार चुनावों को लड़ा है । दो बार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का और दो बार लोक-सभा का चुनाव लड़ा है । मेरा कोई भी अपोनेंट अथवा हिन्दुस्तान का कोई भी आदमी जाकर मेरे चुनाव क्षेत्र में पूछे कि कितना मैं घूमा हूं और कितना मैंने खर्चा किया था क्या मैंने किया, मेरी तो कोई बात छिपी नहीं है और सारी

बातें दुनिया के सामने हैं। मैं तो साइकिल पर घूमता हूं और इसी तरीके पर मैं चुनाव में जीतता आया हूं। इसलिये मैं इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव को सदन में लाने में मेरा कोई जाती हेतु नहीं है। मेरी तो इच्छा यही है कि हमारे वोटरों को वोटिंग करने में सहूलियत हो।

एक सज्जन ने मेरे पास एक ब्राउचर भेजा है जिसका कि नाम बैलेट बौक्स वूथ सिस्टम है और मैं सेन साहब से कहता हूं कि वह उसको जरा देखें कि उसमें क्या विचार प्रकट किये गये हैं। अगर वह कहें तो मैं यह ब्राउचर उनको दे दूंगा और मैं चाहूंगा कि वह जरा इस को ऐग्जामिन करें।

दूसरी बात मुझे जो कहनी है वह यह है कि अगर सरकार का यह ख्याल है कि केरल में और राजस्थान में बड़े अच्छे तौर पर चुनाव सम्पन्न हुआ है तो मैं कहना चाहूंगा कि केरल में जितनी शिक्षा है उतनी शिक्षा देश के किसी सूबे में भी नहीं है। जहां तक राजस्थान के चुनाव की बात आती है तो उसकी रिपोर्ट हमारे सामने नहीं है और इसलिये मैं उसकी बाबत कुछ नहीं कह सकता लेकिन जो बाई ऐलेक्शंस हुये हैं उनको मैंने देखा है और कहीं तो ८ परसेंट वोट रिजैक्ट हुये हैं और कहीं पर १० परसेंट वोट रिजैक्ट हुये हैं और अगर यही सफलता की निशानी हो फिर मुझे कुछ नहीं कहना है वरना मेरा तो अपना ख्याल है कि १ परसेंट या २ परसेंट वोट भी रिजैक्ट हों तो यह एक बड़ी बात है और वह बतलाता है कि कहीं हमारे वोटिंग सिस्टम में कुछ त्रुटि अवश्य है।

तीसरी बात उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बतलाना चाहता हूं कि अभी हाल में हमारी पार्टी का चुनाव हुआ था और उस चुनाव में सारे वोटर ही दिग्गज थे क्योंकि वोटर पार्लियामेंट के कांग्रेसी मेम्बर थे लेकिन उसमें भी १० वोट रिजैक्ट हो गये। गलती में दस वोट रिजैक्ट हो गये और स्वयं इस हाउस में भी हम देखते हैं कि वोटिंग में कुछ लोगों से गलती हो ही जाया करती है और आज ही वोटिंग में हमने देखा कि कितने ही आदमियों का बटन नहीं दबा और कितने ही आदमियों का वोट गड़बड़ हो गया। अब आप समझ सकते हैं कि जब यह हालत उन आदमियों की है जोकि दिग्गज हैं तो फिर उन बेचारे अशिक्षित लोगों से हमारे हरिजन भाइयों से आप यह कैसे आशा रख सकते हैं कि उनसे गलती नहीं होगी या वे अपना वोट ठीक तौर से डाल नहीं पायेंगे। इस लिए इस मार्किंग सिस्टम से हमारे अनपढ़ लोगों को काफी कठिनाई होगी।

मुझे यह भी कहना है कि ४१ जी रूल क्लियर नहीं है। कोई भी नियम अथवा कायदा हो उसे स्पष्ट होना चाहिए और इस वास्ते मैं सेन साहब से कहूंगा कि वे तो अंग्रेजी भाषा के बड़े पंडित है और उचित यह है कि जो भी रूल बनाया जाय वह साफ और क्लियर बनाया जाय। अब रूल को तो काम में लाने वाले और अमल में लाने वाले प्रीसाइडिंग आफिसर होंगे, पोलिंग आफिसर होंगे और आप समझ सकते हैं कि देहातों में जिनके कि जिम्मे इन पर अमल करने का काम होगा वे कितनी अंग्रेजी जानते हैं और भाषा साफ न रहने से काफी गड़बड़ी पैदा हो सकती है। मैं समझता हूं कि इस तरीके से बहुत खर्चा करना पड़ेगा। जो बीस लाख बैलट-बाक्स बनवाए गए हैं, हर साल उन की मरम्मत में खर्चा होगा। दो तीन सप्ताह में ४२ करोड़ बैलट पेपर छपवाने पड़ेंगे और समय से यथास्थान भेज देना हमारी सरकार के लिए गैरमुमकिन है। मैं ने पिछली बार बताया था कि अमरीका जैसे शिक्षित देश में भी इस प्रणाली के कारण कितनी गड़बड़ी हुई है। इसलिए मैं समझता हूं कि जहां पर अधिकतर लोग अशिक्षित हैं, वहां सिम्बल सिस्टम को

[श्री विभूती मिश्र]

चलाना चाहिए, क्योंकि अशिक्षा, पर्दे की प्रथा और अज्ञान के कारण यही प्रणाली वहां के लिये उपयुक्त है। अगर सरकार चाहे तो कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और दिल्ली जैसे स्थानों में मार्किन्ग सिस्टम को लागू किया जा सकता है और उसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं है।

Mr. Deputy-Speaker: Resolution moved:

> "This House is of opinion that the new marking system of voting tried as an experimental measure during recent bye-elections to Lok Sabha and State Assemblies has not proved successful and hence it should not be adopted in future elections."

Shri Bharucha had given notice of an amendment. Does he intend moving it?

Shri Naushir Bharucha (East Khandesh): I intended to move it, but unfortunately I have got two meetings elsewhere to attend.

Mr. Deput-Speaker: It need not be moved then.

Shri Warior. The time limit will be ten minutes.

Shri Warior (Trichur): Sir, in our experience the marking system has made considerable improvement in elections being conducted more fairly. In the first bye-election that we had with the marking system in the Devicolam double-member constituency in Kerala we found that the invalidated votes actually came to about 0·9 per cent. 115,291 voters actually voted in that bye-election and the valid votes polled were 112,889.

Shri Tyagi (Dehra Dun): What is the percentage of literacy in your State?

Shri Warior: I will come to that. Why are you so impatient? The hon. Member should at least be hearing me patiently for the ten minutes which you have allotted to me.

I mention the bye-election in the Devicolam constituency specially because it was tried there for the first time and voters were not trained actually in this marking system before. Not only that, more than 80 per cent of the voters are Tamil labourers and the remaining voters are peasants from the plains coming and occupying places in the hill ranges. This constituency lies neither in the plains nor on the sea-coast. It is actually 6,500 feet above sea level. There are plantations there. Even during day time you will find it difficult to cross the road in automobiles because the fog will be there and the precipices are very deep. Almost the entire area is in the hands of the famous Kannandevan Hill Produce Company. The labour is from Madurai, Tinnevelli and the other side. They are not Malayalees. I do not say that they are uneducated, but they are not as literate as the people in the plains. This first experiment was tried there and we found that only 0·9 per cent. of the votes were invalidated. As Shri Bibhuti Mishra is now thinking, we thought that this system would be a failure and that there would be more invalid votes than valid votes. But the result showed that we were wrong in anticipating such a result.

During the mid-term elections that we had, we had the same experience. Although all the figures of the 1959 mid-term elections have not been compiled and have not been published by the Election Commission, I have got certain figures calculated. In the southernmost area which is partially a Tamil area—I do not say that in this area the Tamils are in a majority—in the Parasal constituency, we had 1·15 votes invalidated. In another constituency near the City of Trivandrum, namely, Vilapil, this figure was ·81 per cent. In Trivandrum City, although we say that it is Trivandrum City, the suburban areas are also there and the constituency is divided into two. In No. 2 consti-

tuency, it was only ·67 and in No. 1 constituency, it was 1·07 per cent. In another constituency, which is a suburban or rural constituency, namely Varkala, it was only ·53 per cent. So I can say that this has been almost a uniform experience in almost all the rural constituencies and the percentage of invalid votes in the towns was much less.

One of the distinct advantages that I find in this system is that the other methods employed to get votes from voters have minimised with the introduction of the marking system. Previously the voters were brought by the agents of certain candidates and they were not to put the ballot paper into the box in the room. They would bring it outside and then sell it at a discount or at a premium.

Pandit K. C. Sharma (Hapur): How is that eliminated under this system?

Shri Warior: I shall tell you how that is eliminated. These ballot papers were collected by 12s or 20s and were sent back into the booth with a very reliable person of the candidate or of the agent and were put in in bulk. With the marking system, the marking is done *in camera*. The exercise of the vote is in secret. The voting paper is then folded and brought to be put into the box before the presiding officer. So no ballot paper can be taken out of the booth. The taking out of the ballot paper had been in practice. We had occasions to find that out, catch hold of them red-handed and entrust them to the polling officer, the Police or the authorities concerned. There might be invalidation, but I must say with respect that more invalid votes have come from the literate people because by the time they enter the booth their nerves have gone down and they put it in somewhere shivering. Actually the conscious voters do not do that.

So our experience is that this is one of the methods of ensuring that the ballot paper is not brought out and purchased by unscrupulous people and thereby the election is conducted in an unfair way. But I do not say that by itself it is all perfect.

Apart from that, there is another aspect which is very important. I wish to recommend this aspect to this House for its serious consideration. In our Plans, we are spending crores of rupees to educate the people and make them literate. I do not dilate on that. At least once in every five years, quinquennially, let the agents and the workers of the candidates go to them and teach them not the alpha and omega, but at least to mark on a sign. That much trouble at least they must take. Then, they will find that these voters will consciously put their seal in the place allotted for them against the symbols which can be taught to them. That is a very easy job, provided you take the trouble. But, the question is that you have to approach each and every voter. That is necessary also from the political angle, from the angle of educating the voters and from the angle of developing the political conscience and responsibility of the vast millions of our people. Hence, from our own experience and from the point of view of the need of the country at large, we emphatically think that this system will be practicable and useful even in the most illiterate tracts of India. Hence, we do not support the Resolution. We oppose it.

Shri Surendranath Dwivedy (Kendrapara): Mr. Deputy-Speaker, I oppose this Resolution. I do not know where from our friend has got these statistics to say that this experiment has been a failure. He himself admits that no concrete report or tabulated report from the Election Commission is available to come to this conclusion. But, we can go by the experiences of results of bye-elections that were held in different parts of the country with some of which we are fairly acquainted. It is not a fact, as he says, that only in the cities it may be successful, and not in areas where the percentage of illiteracy is very great. Bye-elec-

[Shri Surendranath Dwivedi]

tions have been held in the Tribal areas, and even in the Dandakaranya area. It has been found that it has proved to be a great success, not only from the larger point of view that it eliminates a great deal of expenditure because you have not got to put as many boxes as there are candidates, but it also makes it easy for the ordinary voter to exercise his vote. In a constituency where there are as many as 12, 13 or 15 candidates, 15 boxes are put. The ordinary voter is in a confusion. When he goes into seclusion, he is in a confusion as to in which box he has to put and even to find his box, when there is always a warning from the Polling officer to come out quickly. Sometimes I have myself seen this. When I have gone to exercise the vote, I have seen that some ballot papers are put on the box itself. In this case, that difficulty is altogether eliminated. Because he has to exercise his franchise, put the ballot paper not in the box, but he is to rubber-stamp a particular symbol. If he has to exercise his vote, he must be acquainted with the symbol. That is a duty of the the political parties and the Government; they to educate the people. I think the political parties take great care to go to the villages, approach the voters and make them acquainted with the particular symbol they want the voters to support. In that respect, what happens is, it is very easy for the voter, because the entire symbol is put on the paper and is given to the voter there. He goes to the place set for him and he can choose and take some time to choose the symbol and put the stamp.

Another great advantage is, he has to put the ballot paper in the box in front of all. What happens in the other case is this. I can tell you a very interesting episode. That was in a bye-election held sometime in the yead previous to the general election, when fair and free election was altogether a dream in this country. The Congress governments were there and they were using the administrative machinery, and the publicity department to the full.

Shri Tyagi: What is it? I challenge this.

Shri Surendranath Dwivedy: You may challenge. I can prove it by facts.

Shri Tyagi: Yes.

Shri Surendranath Dwivedy: Shri Tyagi should not get up and challenge things which he does not know.

The Minister of Law (Shri A. K. Sen): Nothing in this line which Shri Tyagi does not know.

Shri Surendranath Dwivedy: Even that may be true. Because these practices are done deliberately, I have personal experience and therefore I am narrating this episode.

Shri Harish Chandra Mathur (Pali): Which year?

Shri Surendranath Dwivedy: 1949.

Pandit K. C. Sharma (Hapur): Why did you not go to a court of law?

Shri Surendranath Dwivedy: We are not lawyers like you.

Pandit K. C. Sharma: You failed?

Shri Surendranath Dwivedy: I do not want to enter into a controversy with my friend.

Shri A. K. Sen: In 1949, we had not got the Representation of the People Act of 1950, nor the office of the Chief Election Commissioner.

An hon. Member: He does not know.

Shri Surendranath Dwivedy: That does not mean that corruption and bribery were not there.

Shri Thirumala Rao (Kakinada): In those days, for the Central Assembly, there was no direct election.

Shri Surendranath Dwivedy: Illiterate voters are influenced in many ways. At that period, during the particular bye-election to which I am referring, the administrative machinery of the Government was used and the Publicity department was used in favour of the Congress candidate. I was going to tell you an interesting episode, how they influenced ordinary voters when they go into the polling room to vote. They put very powerful loudspeakers, all government loudspeakers, on a tall tree, shouting. The ordinary voter gets confused. You put your vote in the particular box, that is the Congress box: that is the shouting. In the confusion, he feels there is an officer sitting above and seeing where he is going to exercise his vote. He is confused and he puts the vote in that particular box for which the shouting comes from the top of the tree.

Mr. Deputy-Speaker: Another party can go to a still higher pole.

Shri Surendranath Dwivedy: That is not possible for all parties. That is not the point.

Pandit K. C. Sharma: That is not permissible.

Shri Surendranath Dwivedy: How it is not permissible, I do not know.

Mr. Deputy-Speaker: When the hon. Member is making a speech; that should not be challenged.

Shri Surendranath Dwivedy: These are distractions. The whole point is, this confusion occurs, we find, when the voter goes into the polling room, because of multiplicity of boxes, because of the terrible propaganda that is carried on to influence and put pressure on him. These things would be greatly eliminated if this system is introduced. Therefore, I welcome this. One of the good things that the Election Commission and many of these things have done is the introduction of the marking system in this country. We welcome it. I would not like that, at this stage, when the general election is approaching, there should be any change. The marking system should be introduced in the general election also for the exercise of votes. We would like to be enlightened by the Law Minister. From the little experience we have, we have seen that a large number of voters can quickly vote. When the voters go to put the ballot papers in a particular box, they take a long time. Generally, the polling time is from 8 in the morning till 5 P.M. Unless all the voters reach the polling place before 5 o'clock, sometimes, they are refused, because they take a long time. Also, the voters, when they go into the room to find out a particular box, they take a little more time. In this case, that delay is very greatly removed. Voting is done very quickly. Therefore, we welcome this system and we oppose this Resolution.

Shri Tyagi: I am sorry that my hon. friend referred to something against my party, although I support him. There is one thing. My hon. friend on my right is very vigilant. He just whispered to me that he who is always out to pick faults in our party could not trace any instance during this period of so many years. He had to go back to 1949. So, it means to say that during this period elections have been very fair.

15 hrs.

श्री जगदीश अवस्थी (विल्हौर) : अगर आप चाहेंगे तो ऐसे बहुत से उदाहरण दिए जा सकते हैं।

Shri Tyagi: I support my friend. The proposal that the ballot paper should be marked is a good suggestion. It has also been experimented upon. I therefore oppose the resolution.

I have one or two suggestions to make to the Election Commission. I would suggest that in printing the ballot papers, there must be enough space between one symbol and another. I do not know what type of

[Shri Tyagi]

ballot papers they are having, but there must be enough space. It must also be made clear that a ballot paper shall not be declared invalid if the mark is not exactly in the square meant for it, because sometimes illiterate voters, as many happen to be in our constituencies, might be inclined to mark the very symbol itself. That is human psychology. Suppose I keep on making propaganda in favour of a pair of bullocks, he will just mark the bullocks. He may not care to put his mark in the space or square meant for that mark. The lines are too near. There must be some vacant space in between. Wherever the voter may mark within that column from one end to the other, whether he marks on the symbol, on the name or in the empty space actually meant for marking, the ballot must be taken as valid and not invalidated on account of irregularity of marking. Otherwise, this is a very good idea. I therefore suggest that the Election Commission might agree to this.

As pointed out, so many boxes create difficulties, I can understand that. I have also dealt with voters. Sometimes they are not in a position to identify the box of their choice. Sometimes they put their votes in the wrong box and regret it very much later. They say by mistake they have done it. When one loses a vote, one feels as if one has lost a purse.

Mr. Deputy-Speaker: Purse with money or empty?

Shri Tyagi: A vote is a great purse.

I support the marking system adopted by the Election Commission. It has already been experimented upon. It should be accepted. The proposal of the mover of the Resolution will create further difficulties because of so many boxes and so much canvassing going on.

In the British days there was a system that the illiterate voter would go to the polling officer, where the agents of all the parties would be sitting. The officer would ask him whom he wants to vote for. He would name, and then the officer would mark his ballot paper with pencil and give it to him to put into the ballot box. I think that too is not bad in cases where the illiterate voters voluntary declare to whom they want to vote. But the marking system is fool-proof. No help is needed, because there is a rubber stamp. Even one who does not know how to hold a pen can put the rubber stamp. Only care should be taken to see that ballot papers are not unnecessarily invalidated as I have indicated.

श्री राधे लाल व्यास (उज्जैन) उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव मेरे मित्र विभूति मिश्र जी ने पेश किया है मैं उसका विरोध करता हूं ।

अभी मेरे मित्र द्विवेदी जी ने कुछ बातें बतायीं । मेरा निवेदन है कि यह कहना कि कुछ अफसरों ने जो कि चुनाव से सम्बन्धित थे कांग्रेस का पक्ष किया सही नहीं है । मेरा अनुभव तो दूसरा ही है । जो गवर्नमेंट होती है उसकी तरफ से तो इस प्रकार की हिदायतें होती हैं कि जो अफसर चुनाव के लिए नियुक्त किए जाते हैं उनको बिल्कुल निष्पक्ष रह कर काम करना चाहिए । मैं समझता हूं कि सरकारी अफसर ईमानदारी से काम करना चाहते हैं । इसके अलावा सरकारी अफसरों में ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं जो पहले कांग्रेस के वरकर रह चुके हों क्योंकि आजकल नौजवान अफसर ही आते हैं । तो कांग्रेस के लिए यह कहना कि अफसरों ने उसका पक्षपात किया हो सही नहीं है । हमारा अनुभव तो इसके विपरीत है । कुछ कांग्रेस विरोधी ऐसी संस्थाएं भी है जो कि साम्प्रदायिकता के आधार पर आगे बढ़ना चाहती हैं । उनके कुछ लोग जो कि सरकारी अफसरों में स्थान पा जाते हैं उनके मन में कांग्रेस विरोधी भावना रहती है और यह देखा गया है—कुछ लोग पकड़े

भी गए—कि जहां वे देखते हैं कि कुछ किया जा सकता है वहां करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने ऐसा भी करने की कोशिश की कि वोट अमुक बक्स में डाला जाए, जैसे सूरज के बक्स में डाला जाए या दिए के बक्स में डाला जाए। यह भी बहुत कम मात्रा में हुआ है लेकिन कुछ हुआ अवश्य है। लेकिन कांग्रेस के लिए ऐसा किया गया हो यह मेरी समझ में नहीं आता। जो जनरल इलेक्शन हुए उनके बारे में जनसंघ के नेता स्व० डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सरकार की प्रशंसा की और कहा कि इलेक्शन बहुत साफ सुथरे और निष्पक्ष हुए।

लेकिन जो भी थोड़ी सी गुंजाइश रहती है वह मार्किंग सिस्टम में बिल्कुल दूर हो जाएगी। हमने देखा है देहातों में जहां आम तौर पर वोटर अशिक्षित होते हैं, या महिलाएं जो कि परदा नशीन होती हैं, वे बैलट बाक्स पर अपान बैलट पेपर रख देते हैं और जब कोई दूसरा आता है तो उन को समेट कर जिस बक्से में चाहता डाल देता है।

एक बात और भी है कि कुछ लोग बोटों का सौदा करते हैं। यह बैलट पेपर को डालते नहीं बल्कि जेब में रख कर आ जाते हैं और फिर कहते हैं कि इतने रुपए लाओ। तो वर्तमान सिस्टम में करप्शन की काफी गुंजाइश है। उसकी शिकायतें भी मिली हैं। लोगों ने इसका स्पेकूलेशन सा कर रखा है। मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन ने इन सब बातों पर विचार कर के ही मार्किंग सिस्टम जारी किया है। बैलट पेपर पर चिह्न भी होता है उस पार्टी का और उम्मीदवार का। हमारा अनुभव है कि देहातों में और शहरों में भी अशिक्षित वोटर चुनाव चिह्न वाली पेटी को ही देखते हैं और उसी में वोट डालते हैं। लेकिन होता यह है कि कभी कभी वहां पेटियां इस तरह से आगे पीछे रखी जाती हैं कि वोटर कन्फ्यूज हो जाता है और गलत पेटी में अपना बैलट पेपर डाल देता है। यह चीज भी मार्किंग सिस्टम से दूर हो जायेगी।

यह भी देखा गया है कि बैलट बाक्स पर जो सिम्बल चिपका रहता है वह निकल जाता है और पता नहीं चलता कि वह किस पार्टी का बक्स है। फिर जब कोई यह चीज नोटिस में लाता है और शिकायत करता है तो रिटर्निंग आफिसर उस बक्स पर चिह्न को गोंद से चिपकाता है और सूखने पर वह फिर निकल जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि अशिक्षित लोग जो कि केवल चुनाव चिह्न को ही समझते हैं उनसे असावधानी में गलतियां हो जाती हैं। इसलिये यह मार्किंग सिस्टम अत्यन्त आवश्यक है।

जो सुझाव मेरे मित्र त्यागी जी ने दिया है उससे मैं बिल्कुल सहमत हूं कि किसी खाने में भी मार्क लगा दिया जाये तो उसे वैलिड माना जाना चाहिये। हो सकता है कि कभी कोई वोटर गलत खाने में निशान लगा दे लेकिन अगर उसी चुनाव चिह्न के सामने या उसी उम्मीदवार के नाम के सामने लगाता है तो उसको वैलिड मान लेना चाहिये। इतना सुधार इस नवीन पद्धति में होना चाहिये। ऐसा करने से जो समझ नहीं पाते हैं उनके लिये सुविधा हो जायेगी।

इन सुझावों के साथ मैं श्री विभूति मिश्र जी के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

Mr. Deputy-Speaker: Now, Pandit K. C. Sharma.

Are there any others who want to support Shri Bibhuti Mishra? I must call them first.

Shri Bishwanath Roy (Salempur): I want to support him.

Mr. Deputy-Speaker: I shall call the hon. Member later.

Pandit K. C. Sharma: I am sorry that hon. Members have taken what may be called too technical a view and tried to find out faults where there existed none. In human life, pure rationalism is an impossibility, and it is much more so in the matter of social or political organisation. Therefore, what requires to be done is to judge things from the doctrine of effects.

The first elections under the new Constitution were fought in 1952. Many business-houses with big purse had set up their own candidates. It is to the credit of the Indian electorate that none of them was returned. Looking at in the composition of the House, I dare say that everybody knew fully well that the gentleman who has been returned from a particular constituency was likely to be returned, taking all considerations into account. We know where the Communist Member were likely to be returned; we know where the Jan Sangh Member will be returned; we know also where the Congress Member will be returned. I have no doubt about the Members who have been returned from UP; I was dead sure that they would be returned. Many candidates who failed were expected to fail.

Shri Surendranath Dwivedy: Does my hon. friend know what will happen to Shri C. B. Gupta?

Pandit K. C. Sharma: I know what will happen to Shri C. B. Gupta. I have no doubt that he is bound to win, and it would be to the credit of the electorate if he is returned. I say this, being a Congressman myself. I say that it is not the party that has to be congratulated on this, and it is not the party that is going to be the master of Government, but it is the electorate, it is the people. Nowhere is it written that the sovereignty of the State is vested in the Congress or in the Communist. The Objective Resolution was to the effect that sovereignty vested in the people; and people will select those who are to govern them. It is not the Congress or the Communists or any other party that will select them. If a man fails, it is because he has adopted means which the electorate is not willing to accept, be he a Congressman or a Communist or a man belonging to any other party. If they can use the purse, you can use the *danda*, you can buy the people, but the people are willing neither . . .

Mr. Deputy-Speaker: Order, order; even if that *danda* is to be used, it should be used against me and not against any other Member here.

Pandit K. C. Sharma: What I mean to say is that the Indian electorate has stood the test. So, by the doctrine of fact, it is safe to conclude that it has succeeded here to such a large extent as nowhere else. The fact that it has succeeded proves its efficacy, and, therefore, there is no need to change the method. The method has not failed. It has worked successfully. A few votes cast here or there do not decide it. Since the electorate is a large one, nobody can manipulate. If anybody could manipulate, in 1952, when the business-houses tried their luck with a big purse at their command, they could have done so, but they failed; not one of their candidates was returned, and we know who those candidates were.

Therefore, the present system has worked well. It has not failed. The mere possibility that so many things may happen has not affected the result; even assuming that those things have been allowed to happen, the result has not changed; those happenings have not been efficacious. So, even a bit of mistake here or a bit of roguery there has not been effective enough to affect the result. The system has worked well, and, therefore, it need not be changed.

With these words, I support the resolution.

Mr. Deputy-Speaker: How long will the hon. Minister take?

Shri A. K. Sen: About 20 minutes.

Mr. Deputy-Speaker: From my experience of the last six speakers, I have come to the conclusion that five miuntes are enough for each Member to speak on this subject.

श्री प्रकाश वीर शास्त्री (गुड़गांव) : उपाध्यक्ष महोदय, जिस नवीन निर्वाचन प्रणाली का विरोध करने के लिये श्री विभूति मिश्र न इस प्रस्ताव को उपस्थित किया है मेरा यह सौभाग्य है कि उसी नवीन निर्वाचन प्रणाली के आधार पर चुन कर लोक सभा में आने का मझे अवसर मिला है और इसलिये मैं अपने अनुभव के आधार पर इस प्रस्ताव का विरोध कर रहा हूं ।

श्री विभूति मिश्र ने अपने इस प्रस्ताव के विरोध में जो सब से बड़ी युक्ति दी है वह यह है कि प्रायः हमारे मतदाता अशिक्षित हैं और अशिक्षित मतदाताओं को अभी इतना हम शिक्षित नहीं कर पाये हैं कि वे मतदान पत्र पर सुविधापूर्वक निर्णय ले सकें यानी हमें किस व्यक्ति को अपना मत देना है वह देख सकें । लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पंजाब में अशिक्षा की दृष्टि से सब से पिछड़ा हुआ गुड़गांव का क्षेत्र माना जाता है जिसका कि इस सदन में प्रतिनिधित्व करने का मुझे गौरव प्राप्त है । उस क्षेत्र में इस नवीन निर्वाचन प्रणाली के आधार पर ही चुनाव हुआ था और मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि अशिक्षितों के लिये उससे अधिक उपयोगी कोई दूसरी प्रणाली नहीं हो सकती है । इतना मैं अवश्य कहना चाहूंगा जैसा कि मेरे माननीय सदस्य श्री त्यागी ने संकेत दिया और यह शिकायत मुझे आज भी है और उस समय भी थी मैं चाहूंगा कि हमारे विधि मंत्री महोदय आने वाले इन चुनावों के अन्दर कम से कम उस कठिनाई को अवश्य दूर करें । क्योंकि मेरा यह अनुभव है कि जिस समय मतदाता को वह मतपत्र दिया जाता है उसमें विभिन्न उम्मीदवारों के नामों को एक दूसरे से अलग रखने के लिये जो विभाजक रेखायें होती हैं वे इतनी निकट होती हैं कि वोटर का स्टाम्प अगर जरा ठीक से कोष्ठ में न लग पाया और लाइन से जरा हट कर ऊपर नीचे को लग गया तो वह वोट इनवैलिड माना जाता है और वह वोट किसी का नहीं माना जाता है और जिसका कि परिणाम यह हुआ कि मुझे अपने ८, ९ हजार मतदाताओं के वोटों से वंचित होना पड़ा । अगर यह ८, ९ हजार वोट मुझे मिल जाते तो मेरा अपना अनुमान है कि विरोधी उम्मीदवार की जमानत तक मैं जब्त करा सकता था

श्री त्यागी : खैर यह तो नहीं होता ।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : यह तो समय ही बतलाता ।

उपाध्यक्ष महोदय : उनकी जमानत जब्त हो जाने से आपको क्या लाभ होता ?

एक माननीय सदस्य : जरा और अधिक फूल मालायें माननीय सदस्य के गले में पड़ जातीं ।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि श्री विभूति मिश्र ने जो यह कहा है कि वे इस प्रस्ताव को इसलिये रख रहे हैं क्योंकि इस नवीन निर्वाचन प्रणाली के द्वारा भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलेगा पर मेरा अपना अनुमान है कि उनकी ऐसी आशंका सही नहीं है । भ्रष्टाचार की उस पद्धति को जोकि चुनावों के समय में प्रायः सुनने में आती है उसको प्रोत्साहन इससे नहीं मिलेगा । बल्कि उस भ्रष्टाचार को रोका जा सकेगा क्योंकि मत पत्र एक ही है और उस मत पत्र के ऊपर यह सही नहीं है कि अशिक्षित होने के कारण कोई व्यक्ति अपनी मुहर ठीक स्थान पर नहीं लगा सकेगा जिसके लिये कि मैं ने यह सुझाव दिया कि प्रत्येक उम्मीदवार के खाने और दूसरे उम्मीदवार का जहां पर खाना हो उन में आपस में कुछ न कुछ अन्तर अवश्य रहना चाहिये जिससे यह भी हो कि

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

अगर सटाम्प रेखा के ऊपर जरा लग जाये तो इतना तो देखा जा सके कि वह पहले उम्मीदवार की ओर झुका हुआ है, या दूसरे की ओर झुका हुआ है और वह चिह्न क्रासिंग प्वाएंट से किधर को है। इसलिये उसके अन्दर अन्तर अवश्य रहना चाहिये। जहां तक भ्रष्ट पद्धति का सम्बन्ध है मैं समझता हूं कि उसकी नवीन निर्वाचन प्रणाली के द्वारा रोकथाम की जा सकेगी। बिग मार्क को भी क्रोसमार्क समझा जाये।

तीसरी बात मिश्र जी ने यह कही है कि कि इतने थोड़े समय में इतने करोड़ बैलेट पेपर्स कैसे छापे जा सकेंगे। जिस आधार पर कि वे चाहते हैं कि इस नवीन निर्वाचन प्रणाली को जारी न कर लें लेकिन मेरा अपना अनुमान है कि इस बारे में हमें चिन्ता करने की आवश्यकता है। यह तो स्पष्ट ही है कि जब सरकार इतनी तैयारी कर चुकी है तभी वह इस प्रकार की चुनाव प्रणाली को आरम्भ करने के लिये जा रही है। इसलिये इस सम्बन्ध में तो कुछ सोचने की आवश्यकता रह नहीं जाती है। हां एक बात जो विशेषरूप से कहना चाहता हूं वह यह है कि हमारा इस बात के लिये प्रयत्न हो कि जो उम्मीदवार चुनाओं के अन्दर खड़े हों उनके ऊपर भी अर्थ का कम से कम भार पड़ना चाहिये साथ ही साथ साशन के ऊपर भी अर्थ का भार कम पड़ना चाहिये। इस नवीन निर्वाचन प्रणाली को आरम्भ करने का शुभ परिणाम यह होगा कि आज तक जो प्रणाली पहले जारी थी और जिसके कि आधार पर प्रत्येक उमीदवार के अलग अलग बक्से रखे जाते थे तो अब इन अलग अलग बक्सों के सिस्टम को हटा कर एक ही बक्सा होगा भले ही उसका आकार बड़ा क्यों न कर दिया जाय। मेरा अनुमान है कि इससे सरकार को लाखों, करोड़ों रुपयों की बचत हो सकेगी। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुये मेरा अपना यह निवेदन है कि श्री विभूति मिश्र ने जो प्रस्ताव उपस्थित किया है, अच्छा हो कि वे स्वयं अपने प्रस्ताव को वापिस ले लें लेकिन अगर वे उसको वापिस नहीं लेते हैं तो मैं इस प्रस्ताव के सुझावों का और जो उन्होंने अपना यहां वक्तव्य दिया है उसका विरोद्ध करता हूं।

पंडित ब्रज नारायण "ब्रजेश" (शिवपुरी): उपाध्यक्ष महोदय, इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि इस से पूर्व जो चुनाव पद्धति देश में चल रही थी, उस में भ्रष्टाचार अधिक होता रहा और मतदाताओं को भूल से कहीं भी मतदान करने का अवसर भी मिलता रहा। यह बात भी निश्चित है कि पेटियों के सम्बन्ध में उनको जानकारी न होने के कारण कई मत दाता पेटी के सामने अपने मतपत्र रख कर नमस्कार कर के चले गये। यही पता नहीं चला कि उन्होने किस को मत दिया। कहीं कहीं ऐसा भी हुआ कि मत दाता मत-पत्र के दो भाग करके आधा एक पेटी में और आधा दूसरी पेटी में डाल कर चले गये। कहीं कहीं ये भी देखा गया कि मत-दाता वहां किसी अल्मारी या ताक पर अपना मतपत्र रख कर और नमस्कार कर के चले गये। ऐसी स्थिति रही है और उन को बर-ग़लाने और इधर उधर ले जाने की चेष्टा भी बहुत की गई।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य क्या कन्डीडेट ही रहे हैं या प्रिज़ाइडिंग आफ़िसर भी ?

पंडित ब्रज नारायण "ब्रजेश": उपाध्यक्ष महोदय, आपने स्वयं चुनाव लड़ा है। आप को भी अनुभव होगा कि कन्डीडेट को सब जानकारी रखनी पड़ती है। उस को पोलिंग एजेन्ट का काम करना पड़ता है। उस को कनवैसिंग भी करनी पड़ती है और यह भी देखना पड़ता है कि कौन क्या कर रहा है प्रिज़ाइडिंग आफिसर ठीक तरह से काम कर

रहा है या नहीं, क्यों कि कभी कभी उनका भी अपना मत होता है और अपने मत को चलाने के लिये जो उनकी इच्छा होती है, उसके अनुसार वह करवा लेते हैं। इस कारण यह सब सावधानी बरतनी पड़ती है और मुझे भी बरतनी पड़ी। उस के आधार पर ही मैं यह कह रहा हूं। मैं आफिसर कभी नहीं रहा और न ही उस की अभिलाषा है।

मैं समझता हूं कि चुनाव अधिकारियों के पास इस प्रकार की अनेकों आपत्तियां आई होंगी और उसके अनुसार गम्भीरता पूर्वक विचार करके उन्होंने इस पद्धति को सामने लाने की चेष्टा की है। इस में सन्देह नहीं कि इस मत-प्रणाली में लोगों को स्वतंत्रता पूर्वक जिसको भी मत प्रदान करना हो, उसके सामने मार्क लगाने का अवसर मिलेगा और इस में, मत पत्र इधर डालो या उधर डालो, यह प्रश्न भी सामने नहीं रहेगा। इस कारण भ्रष्टाचार को अवश्य रोका जा सकता है, इस में दो मत नहीं हो सकते हैं। यह बात मैं मानने के लिये तैयार हूं कि भारत वर्ष गावों में निवास करता है और गांवों की जनता अशिक्षित है, इस लिये जल्दी में, शीघ्रता में, घबराहट में, बिना जाने बूझे वह इधर उधर मार्क लगा सकता है और मार्क लगाने की यह पद्धति ऐसी है कि ज़रा भी गड़बड़ हुई, तो उसका मत ही व्यर्थ हो जायगा, बेकार हो जायगा। इसमें सन्देह नहीं कि जहां पिछली बार कैंडीडेट्स को भ्रष्टाचार से हानि उठानी पड़ी, इस बार मर्कस लगाने के कारण बहुत से बैलट-पेपर बेकार हो जायेंगे। इस लिय यह सुविधा देनी चाहिये कि यदि किसी व्यक्ति से मतपत्र पर चिन्ह लगाने में गड़बड़ी हो जाती है, तो उस के कारण उस का मतपत्र बेकार न हो जाये, क्योंकि प्रजातंत्र में मत बड़ा मूल्यवान है और एक एक मत के कारण हार और जीत हो सकती है। ऐसी अवस्था में एक एक मत की कीमत को हम को समझना चाहिये और साधारण सी भूल के कारण यह जानते हुये कि उस का मन्तव्य क्या था मत प्रदान करने के उस के मन्तव्य को खारिज नहीं कर देना चाहिये। उस में इतना स्ट्रिक्ट होने की आवश्यकता नहीं है। मतदाता को अधिक से अधिक सुविधा मिलनी चाहिये कि यदि चिन्ह थोड़ा ऊपर भी हो गया, तो भी उसका मत व्यर्थ न जाये। लेकिन यह जरूर देखना चाहिये कि चिन्ह का हिस्सा जिस पदाभिलाषी की ओर ज्यादा है, उसी को मत मिलना चाहिये। अगर ऐसा नहीं किया गया, तो मत बेकार हो जायेगा।

यह बात भी निश्चित है कि वर्तमान मत-प्रणाली में व्यय कम पड़ेगा, सुविधा अधिक होगी और भ्रष्टाचार भी रूक सकेगा। मैं श्री विभूति मिश्र के इस मन्तव्य को पसन्द करता हूं कि जनता बहुत अधिक अशिक्षित है और उसको मत प्रदान करने में असुविधा हो सकेगी, लेकिन यदि वायु-मण्डल निर्माण किया जाये गया, तो इस में काफी सफलता मिल सकती है। यह पदाभिलाषियों पर निर्भर है कि वे जा कर लोगों को समझायें इस प्रकार से उन्हें मत दाताओं के पास पहुंचने का अवसर मिलेगा। जो लोग यह समझते हैं कि पुरानी पद्धति के अनुसार काम चलेगा, इस लिये लोगों में जाने की क्या आवश्यकता है, ऐन टाइम पर देखेंगे, जो होगा, देखा जायेगा, उन को आज से ही जन सम्पर्क करने का अवसर मिल जायेगा। प्रश्न यह है कि जिस मतदाता को मतदान करने की भी बुद्धि नहीं है, वह देश के लिये क्या मत-प्रदान कर रहा है, यह मेरी समझ में नहीं आता है। कम से कम यह बुद्धि होनी चाहिये कि हम किस को मतदान कर रहे हैं। इस दृष्टि से यह नवीन मत प्रणाली देश के लिये श्रेयस्कर है और यदि श्री विभूति मिश्र अपने रेज्यूलेशन को वापिस ले लेंगे, तो वह देश के लिये कल्याणकारी होगा।

श्री विश्वनाथ राय : माननीय उपाध्यक्ष जी, इस सदन में मिश्र जी के प्रस्ताव के समर्थन में शायद ही किसी ने कुछ कहा हो।

श्री विभूति मिश्र : शर्मा जी ने कहा है ।

श्री विश्वनाथ राय : किन्तु उनके प्रस्ताव का विरोध करते हुये भी शायद सब लोगों ने यह माना है कि भारत में शिक्षा कम होने के कारण चिन्ह लगाते वक्त लोगों को कठिनाई होगी । वह कठिनाई पढ़े लिखे लोगों को नहीं होगी । लेकिन पढ़े लिखे लोग भी, जो बहुत बृद्ध होते हैं, जिनको कम दिखाई देता है और प्रायः वे लोग, जो गांवों में रहते हैं, जिनके पास चश्मा आदि साधन नहीं हैं, यह कठिनाई अनुभव कर सकते हैं कि वे निशान ठीक लगा रहे हैं या गलत । विरोधी बैंचों से भी एक माननीय सदस्य ने कहा है कि गलत निशान लगाने के कारण उन के कई हजार वोट खराब हो गये । वह उसी हिसाब से स्थिति को समझ लें ।

श्री त्यागी : उन को मिल गये ।

श्री राधा रमण (चान्दनी चौक) : खराब हुये तो मिले ही ।

श्री विश्वनाथ राय : यदि सारे भारत पर इस दृष्टि से ध्यान दिया जाये, तो ऐसे वोटों की संख्या लाखों क्या, करोड़ों तक पहुंच जायगी, जो कि इस कारण बरबाद हो जायेंगे ।

चिन्ह लगाने के तरीके का जो नया सुझाव है, उस के कारण, चुनाव को अधिक से अधिक निष्पक्ष रखने के लिये जो गुप्त मत दान की व्यवस्था है, उसको अब वह वह खुद रोकने जा रहे हैं । शिक्षा अशिक्षा की बात छोड़ें, अगर सैद्धांतिक बात को लें, तब भी आप यह मानेंगे कि चिन्ह लगाने का जो नया तरीका सोचा जा रहा है, जिस की कहीं कहीं पर परीक्षा भी हुई है, उसमें एक बात तो बिल्कुल समाप्त होती है और वह है गुप्त मतदान की । भारत में चुनाव के जिस तरीके को अपनाया गया है, उस में यह सिद्धांत रखा गया है कि मतदान इस तरीके से हो कि जिस से किसी व्यक्ति, अधिकारी या उमीदवार का कोई असर न हो और वोट देने के बाद भी किसी को मालूम न हो । जहां शिक्षित आदमी कम होते हैं और अशिक्षित ज्यादा वहां प्रायः यह देखा जाता है कि उम्मीदवार यह सिखलाता है कि आप स्वयं चिन्ह न लगाइये, अधिकारी से कह दीजिये कि वह लगा दे । मुझे जो निजी अनुभव है, और जो पहले चुनाव में देखा गया है वह यह है कि जो लोग बृद्ध हैं, या पढ़े लिखे नहीं हैं, प्रायः यह कहते हैं कि आप चिन्ह लगा दीजिये । जब वह बात आयेगी, तो सीक्रेसी और गुप्त मतदान का सिद्धांत नहीं रह जायेगा ।

अगर कोई यह क कि ये तो अलग अलग होंगे, बड़े बड़े चिन्ह बने रहेंगे, दिक्कत नहीं होगी, मोहर होगी और वह लगा दी जायेगी, तो मैं समझता हूं कि उससे आसान तो बक्स की व्यवस्था रहेगी, जो लगभग डेढ़ फुट लम्बा और एक फुट चौड़ा है, जिस पर चिन्ह भी बड़े होते हैं । पर्चे पर चार पांच उम्मीदवारों के चिन्ह होंगे । उस के मुकाबिले में बक्स ज्यादा सुविधाजनक होता है वोट देने के लिये और पहचानने के लिये । ऐसी हालत में यह कहना मुझे ठीक नहीं मालूम होता है कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिये नई प्रथा का प्रयोग किया जा रहा है । अगर गुप्त मतदान को समाप्त किया जाता है, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, उनकी कठिनाइयों पर कम ध्यान दिया जाता है, तो फिर भ्रष्टाचार को रोकने का क्या तरीका है ?

मुझे भी एक अनुभव है जहां पर कांग्रेस सरकार है, या पहले थी, वहां एक म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव हो रहा था । अनेकों ऐसे लोग थे, जो कांग्रेस उम्मीदवार को वोट देना चाहते थे, लेकिन वहां का पोलिंग आफिसर दूसरे उम्मीदवार के लिये निशान लगा देता था, क्योंकि उससे उसकी दोस्ती थी । मैं स्वयं वहां था और कांग्रेस एजेन्ट की तरफ से यह कहना पड़ा कि यदि फिर पोलिंग अधिकारी ऐसा करता है, तो उनकी कलम

को रोक दिया जाये भले ही वह कानून का उल्लंघन होगा, लेकिन न्याय तो होगा । तब वह आफिसर रुका । यदि किसी दूसरे को निशान लगाने के लिये कहा जाये, तो हो सकता है कि वह भी किसी का पक्षपात करे । और फिर यही विरोधी पक्ष के सदस्य कहेंगे कि पोलिंग आफ़िसर बिल्कुल निष्पक्ष नहीं थे और उन्होंने दूसरी जगह निशान लगाए । आज छोटी मोटी कमजोरियों को लेकर ये लोग बड़ा बना देते है और सरकार का विरोध करते हैं । उससे ज्यादा विरोध ये लोग उस समय करेंगे और कहेंगे कि चुनाव के समय जो पोलिंग आफिसर था, मत दिलाने वाला आफ़िसर था, उसने ग़लत निशान लगाए । मेरे ख्याल में इस प्रकार सरकार अपने लिए एक सर-दर्द पैदा कर रही है । हम विरोधी पार्टियों को मौका दे रहे हैं इस बात का कि अनुचित तौर पर उनको इसका विरोध करने का अवसर मिले ।

श्री राधा रमण : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्य श्री विभूति मिश्र जी ने जिस प्रस्ताव को इस सदन के सामने रखा है, उनका मैं आभारी हूं कि उन्होंने हमें इस महत्वपूर्ण मसले पर विचार करने का मौका दिया है । लेकिन मैं इस बात से इत्तिफाक नहीं करता कि जो मतदान की नई पद्धति अख्तियार की गई है, वह दोषों से भरी हुई है । उसमें कुछ दोष हो सकते हैं । जहां तक हिन्दुस्तान के मतदान का सम्बन्ध है, वह न सिर्फ भारतवर्ष में बल्कि सारी दुनिया में प्रसिद्ध हो चुका है कि बावजूद इस बात के कि हिन्दुस्तान में बहुत ही ज्यादा लोग अशिक्षित हैं, और अशिक्षितों की प्रतिशत संख्या बहुत है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने मतों का इस्तैमाल करके सभी को चकाचौंध कर दिया है । मतदाताओं ने यह सिद्ध कर दिया है कि वे न्यायपूर्ण ढंग से और अपनी मर्जी के मुताबिक और जैसा सही समझते हैं, उस तरह से अपने मत का इस्तैमाल कर सकते हैं । इसलिये यह दोष देना कि जो अशिक्षित लोग हैं मत देने की कोई भी प्रणाली अपनाई जाए उसका सही तौर पर इस्तैमाल नहीं करते हैं, मैं समझता हूं कि ठीक नहीं है और यह बात वाकयात पर सही भी नहीं उतरती है ।

मेरा ख्याल है कि जो तरीका पहले हमारे यहां रखा गया था, उसमे जितने दोष थे, उससे कहीं कम दोष आज की प्रणाली के अन्दर हैं । यह मैं नहीं मानता कि जो मतदान की पद्धति इस समय अख्तियार की गई है, उसमें कोई दोष नहीं हैं । दोष उसके अन्दर हैं । यह फूलप्रूफ तरीका नहीं है । हो सकता है कि इसमें भी हस्बमंशा कोई राय न दे सकता हो और ऐसी बात भी नहीं है कि इसमें गलती का कोई इमकान ही नहीं है । लेकिन मैं यह भी मानता हूं कि हमारे देश में शिक्षित और अशिक्षित दोनों ही अपने इस मतदान के सम्बन्ध में पूर्ण रूप से शिक्षा पा चुके हैं और वे दोनों ही अपने मत को उसी प्रकार से देते हैं जिस प्रकार से उनकी इच्छा होती है, जिसको चाहते हैं, उसी को अपना मत देते हैं ।

पहले जो बैलट पेपर का सिस्टम था जिसके बारे में हमारे विभूति मिश्र साहब चाहते हैं कि सरकार और ईलैक्शन कमीशन अमल करे, उसमें बहुत ज्यादा दोष थे । मैं तो यहां तक कहने को तयार हूं कि कोई भी जनरल ईलैक्शन ऐसा नहीं होता था जिसमें कि पैसा न चलता हो । जो धनी पुरुष थे वे सैंकड़ों बलट पेपर पैसा देकर खरीदते थे और यहां तक अधिक पैसा एक एक बैलट पेपर के लिये दिया जाता था कि हैरानी होती थी । एक एक बैलट पेपर की कीमत एक एक सौ और पचास पचास रुपये वे दिया करते थे । इसका नतीजा यह निकलता था कि बहुत से अशिक्षित भाई और बहनें जिन को वोट देना चाहते थे; पैसे के प्रलोभन में उसको वोट न देकर जिससे पैसा मिलता था उसको वोट दे देते थे । मेरा अपना विचार यह है कि जो इस समय की पद्धति है उसके अन्दर कोई शिकायत किसी भी राजनीतिक पार्टी को नहीं होनी चाहिये ।

[श्री राघा रमण]

मेरे भाई ने बताया कि आजकल के तरीके में एक बड़ा भारी दोष यह है कि जो मतदाता है वह अपा मत किसी सरकारी अफसर की देख रेख में या उसको कह कर देता है । मैं समझता हूं कि यह आजकल की पद्धति के अन्दर प्रचलित नहीं है, ऐसा नहीं होता है । जितने भी कैंडीडेट्स होते हैं उनके निशान होते हैं और उन निशानों के आगे एक कठघरा होता है और कठघरे में सिर्फ उस निशान को देख कर शिक्षित और अशिक्षित दोनों ही मुहर जो कि किसी सीक्रेट स्थान पर रखी रहती हैं, लगा देते हैं ।

त्यागी जी ने एक बात की तरफ हमारा ध्यान दिलाया है कि बहुत बार ऐसा होता है कि अशिक्षित लोग भय के कारण, या घबराहट के कारण या किसी और कारण से, जहां पर मुहर लगानी चाहिये, वहां पर न लगा कर इधर उधर लगा देते हैं जिससे जो प्रिजाइडिंग आफिसर होता है, वह वोट को इनवैलिड करार दे देता है । मैं समझता हूं कि इस दोष को भी दूर किया जा सकता है और उसका एक तरीका हमारे माननीय सदस्य श्री प्रकाश वीर शास्त्री जी ने सुझाया है और वह यह है कि कठघरे ज़रा बड़े बड़े हों और दूसरा यह कि प्रिजाइडिंग आफीसर को हिदायत हो कि अगर रबड़ का निशान थोड़ा इधर उधर हो जाए, ऊंचे नीचे हो जाए तो वोटर के मंशे के मुताबिक उसको वोट मिल जाना चाहिये जिसको वह चाहता था मिले । यह एक छोटी सी बात है, टैक्नीकल सी बात है और इस बिना पर मैं समझना हूं वोट बेकार नहीं जाना चाहिये । हमें देखना चाहिये कि वे लोग जो ऐसा करते हैं, ग्रामीण होते हैं, उनको पता नहीं होता है और गलती कर बैठते हैं और उनका जो मंशा हो, जिस को वोट वे देना चाहते हों, उनको उनका वोट मिल जाना चाहिये ।

मेरी राय है कि इस समय जो तरीका है, वह काफी दोष रहित है और उसमें वे दोष नहीं हैं जो पहले तरीके में थे और इसमें कोई रद्दोबदल करने की जरूरत नहीं है । हमारे देश के लोग इस पद्धति से काफी परिचित हो चुके हैं । अगर एक ही पद्धति को हम कायम रखेंगे तो जो मौका हर पांच साल में वोटर्स को वोट देने का मिलता है और जब बाई-इलैक्शन हो जाते हैं, तो उस बाई-ईलैक्शन में वोट करने का मौका मिलता है उससे वोटर काफी शिक्षित हो जायेंगे और उनको किसी के सहारे की जरूरत नहीं रहेगी या किसी दूसरे की राय पर चलने की जरूरत नहीं रहेगी और सही रूप से अपना मत देकर जिस को वे कामयाब करना चाहते हैं कामयाब करेंगे ।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं और जो व्यवस्था इस समय चल ही है, उसका समर्थन करता हूं ।

श्री श्रीनारायण दास (दरभंगा) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस सदन में जिन बातों को लेकर बहस हो रही है, उससे साफ जाहिर है कि हमारी सरकार ने जनता के प्रति जिस कर्तव्य का उसे पालन करना चाहिये था नहीं किया है । दुनिया के सभी देशों में लोग उम्मीदवार का नाम पढ़ कर अपना मत देते हैं और वहां पर नाम के सामने एक मार्क लगाने की पद्धति है । इसका मतलब यह है कि उन देशों की जनता पढ़ी लिखी है, नाम को पढ़ सकती है और समझ सकती है । हमें मतदान के तरीके को अपने देश में चालू किये हुए १३–१४ वर्ष हो गये हैं लेकिन अभी तक भी हम अपने देश की जनता को शिक्षित नहीं कर पाये हैं, उसको साक्षर नहीं कर पाए हैं । मैं समझता हूं कि यह हमारे लिये और इस सदन के लिये एक लज्जा की ही बात है ।

जहां तक इस प्रस्ताव का सम्बन्ध है, मैं इस बात को महसूस करता हूं कि देहाती जनता की सुविधा का ख्याल रख कर ही श्री

विभूति मिश्र ने यह प्रस्ताव इस सदन के सामने विचारार्थ रखा है । लेकिन मैं समझता हूं जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने कहा कि कई दृष्टियों से इस प्रश्न पर विचार करने की जरूरत है । एक दृष्टि यह है कि सबसे अधिक वैज्ञानिक तरीका मत देने का कौनसा है । उम्मीदवार के नाम के सामने चिह्न लगा कर मत देने का जो तरीका है वह सबसे ज्यादा वैज्ञानिक तरीका है । पहला जो तरीका था उसमें कई बुराइयां बताई गई हैं जो कि अभी भी उसमें हैं । मैं समझता हूं वैज्ञानिक ढंग के तरीके का जहां तक सम्बन्ध है, यह तरीका ज्यादा वज्ञानिक है । दूसरा सवाल बक्सों का है । इसका मतलब यह है कि यह तरीका कम खर्चीला है । इस तरीके में सरकार के खजाने पर कम बोझ पड़ेगा । इस में इतने अधिक बक्से बनवाने की भी जरूरत नहीं होगी । तीसरी बात यह है कि अभी जो बैलट पेपर्स की संख्या है वह बहुत ज्यादा होती है और इसमें ज्यादा बैलट पेपर्स की आवश्तुकता नहीं पड़ेगी । चौथी बात इस वैज्ञानिक तरीके के पक्ष में यह कही जा सकती है कि इसमें भ्रष्टाचार बहुत कम है । अभी कई माननीय सदस्यों ने कहा कि जो वोट लेने वाला है वह तब तक रुपया नहीं देता है जब तक कि बैलट पेपर उसके पास नहीं पहुंच जाता और इसका कारण यह है कि उसे विश्वास नहीं होता है कि लोग मत उसको देंगे या नहीं देंगे । इसलिये जब बैलट पेपर उसको ला कर दे दिये जाते हैं तब वह उनको रुपया दे देता है ।

हमारे भाई श्री विभूति मिश्र ने कहा कि इसमें ओपनीयता नहीं रहती है । मैं समझता हूं कि अगर गोपनीयता रहेगी तो इसी में रहेगी । इसका कारण यह है कि मत देने का जो काम है वह एक कमरे में होता है जहां कोई देखने वाला नहीं होता है और बैलट पेपर को बक्से में डालने का काम रिटर्निंग आफिसर या प्रिजाइडिंग आफिसर के सामने होता है और साथ ही साथ मैं समझता हूं कि बैलट पेपर के बाहर जाने की भी इसमें बहुत कम गुंजाइश है और अगर किसी तरह से कोई बैलट-पेपर बाहर ले भी जाता है तो फिर उसको वापिस डालने की भी गुंजाइश इसमें नहीं है. .

एक माननीय सदस्य : क्यों नहीं है ?

श्री श्रीनारायण दास : यह बात आपने खुद ही देख ली होगी ।

जहां तक देहाती भाइयों का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि जब तक इस नई पद्धति को नहीं अपनाया जाएगा, हमारे देहाती भाई सीखेंगे भी नहीं । जहां तक उप-निर्वाचनों का सम्बन्ध है, कुछ माननीय सदस्यों ने और इलेक्शन कमीशन ने भी हमें बतलाया है कि कम से कम वोट इस सिस्टम में इनवैलिड करार दिये गये हैं । बैलट पेपर में चार ही कालम होते हैं एक खाना उम्मीदवार के नाम का होता है, दूसरा पार्टी का होता हैं, तीसरा सिम्बल का होता है और चौथा मुहर लगाने का होता है । चारों में से किसी के आगे भी निशान लगाने का अधिकार वोटर को होगा और इस तरह से मैं समझता हूं कि वोट के इनवैलिड करार दिये जाने की बहुत ही कम गुंजाइश है ।

मैं समझता हूं कि देहाती जनता का ख्याल करके ही, देहाती जनता भ्रष्टाचार के रास्ते पर न जाये इस ख्याल से ही, और इस ख्याल से कि देहाती जनता चिनह को ही पहचान सकती है उसको सुविधा हो, और पिछले दो चुनावों का अनुभव प्राप्त करके ही इलेक्शन कमीशन ने यह नई पद्धति जारी करने का सुझाव रखा है । मैं समझता हूं कि इसका समर्थन होना चाहिए और तीसरे और चौथे चुनावों में इस पद्धति का अनुभव हो जाएगा । पुरानी पद्धति से प्रकट होता है कि हिन्दुस्तान के लोग सचमुच में पूरी तरह शिक्षित नहीं हैं इसलिए बैलट बाक्स पर ही अपना बैलट पेपर रख देते हैं, तो यह जो हमारे ऊपर

[श्री श्रीनारायण दास]

रिटगमा है यह भी नई प्रथा में कम हो जाएगा । मैं समझता हूं कि किसी भी दृष्टि से देखी जाए नई प्रथा अधिक अच्छी प्रतीत होती है और उम्मीदवारों का यह कर्तव्य है कि वे वोटरों को बतलाएं कि उनको किस प्रकार नई पद्धति में वोट डालना होगा । वोटर इसको अच्छी तरह समझ जाएंगे ।

मैं श्री बिभूति मिश्र के प्रस्ताव का विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि नई पद्धति का ज्यादा से ज्यादा स्थानों पर प्रयोग किया जायेगा ।

एक निवेदन मैं अन्त में यह करना चाहता हूं कि यदि किसी खास इलाके के लोग पुरानी पद्धति से वोट देने की इच्छा प्रकट करें तो इलेक्शन कमीशन को उन लोगों को उसी प्रकार वोट देने का अधिकार देना चाहिए जिससे उनको सन्तोष हो सके ।

पं० द्वा० ना० तिवारी (केसरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, जो अभी सदन में बहस चल रही है उससे ज्ञात होता है कि सब लोगों के मन में यह भावना है कि अशिक्षित लोग ठीक से वोट नहीं दे सकते । मैं इस बात को नहीं मानता । यों गलती तो सब से होती है । यहां सदन में ही डिवीजन के समय बटन दबाना होता है तो हम में से कुछ से भी गलती हो जाती है । तो इस तरह की गलतियां तो हमेशा होंगी । लेकिन देहात के लोग शहर के लोगों से ज्यादा गलती नहीं करते । उनको एक मरतबा बतला दीजिए तो वह उस बात को गांठ बांध लेते हैं और उसी प्रकार काम करते हैं, जो शिक्षित लोग हैं वे अपनी काबलियत में भले ही गलती कर जाएं ।

हर मसले के दो पहलू होते हैं और हर मसले के पक्ष और विपक्ष में कुछ न कुछ कहा जा सकता है । लेकिन हमें देखना है कि दोनों में से किस पद्धति में अधिक सुविधा होगी । उसी का हमें समर्थन करना चाहिये । गत चुनावों में हमने देखा कि १ या डेढ़ पर सेंट लोग अपने बैलट पेपर बक्सों पर रख कर चले आयेंगे ।

15·44 hrs.

[SHRI MULCHAND DUBE *in the Chair*]

पुरानी पद्धति में बहुत से लोग अपना बैलट पेपर बक्स के ऊपर डाल कर चले आते थे । उसका नतीजा यह होता था कि जो दूसरे होशियार लोग बाद में जाते थे वे उनको समेट कर अपने उम्मीदवार के बक्स में डाल देते थे या उन पर प्रीसाइडिंग आफीसर की नजर पड़ जाती थी तो उनको रद्दी कर दिया जाता था । वोटर की मंशा थी कि वह अमुक उम्मीदवार को वोट दे लेकिन वह गलती से उसके बक्से में गिराता नहीं । इसलिए उसकी मंशा सफलीभूत नहीं होती और दूसरे जो होशियार लोग बाद में जाते हैं वे उन वोटों को अपने उम्मीदवार के बक्से में डाल देते हैं या उनको प्रीसाइडिंग आफिसर इनवेलिड कर देता है । लेकिन नवीन पद्धति में यह नहीं हो सकता ।

दूसरी बात जो लोग वोट मंगा लिये करते थे वह भी इस पद्धति में संभव नहीं होगा । वोटर जाएगा, चिह्न देखेगा और उसके सामने निशान लगायेगा और पेपर को बक्स में डाल देगा । इसमें वोट मंगाने का मौका नहीं रह जाता और जो करप्शन पहले हो सकता था वह आगे नहीं हो सकेगा । जिसको वोट देना चाहेगा उसको देगा और जिसको नहीं चाहेगा नहीं देगा ।

हमने यह भी देखा कि डबल मेम्बर कांस्टीट्यूएंसी में लोग वोटरों को यह सिखा देते हैं कि तुम दोनों वोट एक ही बक्स में डाल देना और वोटर ऐसा ही कर देता है । और उसका एक वोट रद्दी हो जाता है । और वोटर का मंशा पूरा नहीं होता । इस सिस्टम में यह नहीं हो सकेगा । अगर कोई इस तरह से वोटर को अब सिखायेग और वोटर वैसा करेगा तो दोनों वोट इनवेलिड

हो जाएंगे । इसलिए सिखाने वाले लोगों को इस प्रकार की गलत बात सिखाने का मौका भी नहीं रहेगा ।

बहुत से उम्मीदवार होते हैं और उनके जब पुराने सिस्टम के अनुसार अलग अलग बक्स रखे जाते हैं तो कुछ वोटर घबरा जाते हैं और अपना वोट ठीक से नहीं दे पाते । इस नये सिस्टम में तो यह बात नहीं है । उसको निशान लगाना समझा दिया जाएगा और वह निशान लगा देगा, झोंपड़ी पर बैल पर या जिस पर भी वह चाहेगा निशान लगा देगा । इसमें गलती होने की संभावना नहीं है ।

हमारे यहां सोन बरसा में हाल ही में नई पद्धति से एक इलेक्शन किया गया । उसमें कोई २ या ढाई पर सैंट वोट बरबाद गए, पहले इससे ज्यादा वोट इनवेलिड होते थे । यह सिस्टम पहले पहल वहां शुरू किया गया था देहाती क्षेत्र में और वहां के वोटर्स ने खूबी के साथ चिह्न लगाए और वोट दिया । कोई वजह नहीं है कि देहात के लोगों की यह मनोवृत्ति अगले जनरल इलेक्शन में बदल जाएगी और वे अधिक गलती करेंगे । इसलिए मैं विभूति मिश्र जी के प्रस्ताव का विरोध करता हूं । वह जनरल पबलिक के हित में नहीं है । जितनी असुविधाएं पुरानी पद्धति में हैं उतनी नवीन पद्धति में नहीं हैं ।

नई पद्धति के विरोध में यह कहा गया कि इसमें सीक्रेसी नहीं रहती । इसमें कोई अफसर बीच में नहीं पड़ेगा । वोटर जाएगा और अलग बैठ कर चिह्न लगाएगा और कागज मोड़ कर बकसे में डाल देगा । इसमें ओपिन होने की बात कहां है । जैसी पहले गोपनीयता थी वैसी ही इसमें रहेगी । तो यह दलील भी ठीक नहीं है । आप किसी भी दृष्टि से सोचिए नई पद्धति हर दृष्टि से अधिक सुविधाजनक है । और इस पद्धति में लोग अपनी इच्छा के अनुसार अच्छी तरह वोट दे सकेंगे । गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन को यह देखना है कि किस पद्धति में लोग कम से कम गलती कर सकते हैं । किस पद्धति में उन पर कम से कम दबाव पड़ सकता है और उनको किस पद्धति में कम से कम लालच दिया जा सकता है । नवीन पद्धति ऐसी है कि इसमें वोटर के ऊपर कम से कम दबाव पड़ सकता है, कम से कम लालच उसको दिया जा सकता है और अधिक खूबी से वह अपना मत दे सकता है । पुरानी पद्धति में वोटर पर दबाव अधिक पड़ता था, करप्शन भी ज्यादा होता था, उसमें वोट मंगाने की भी गुंजाइश थी और उसमें लोगों को असुविधा भी होती थी ।

इसलिए मैं चाहता हूं कि नवीन पद्धति चालू की जाए ।

पंडित भ० दी० मिश्र (केसरगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मिश्र जी ने यह प्रस्ताव रख कर सदन के सदस्यों को यह अवसर दिया है कि मतदान प्रथा में जो असुविधाएं अनुभव हुई हैं उनके बारे में अपने विचार प्रकट कर सकें ।

मैं समझता हूं कि मिश्र जी भी यह समझते होंगे कि प्राचीन मतदान की प्रथा बहुत कुछ दोषों से भरी हुई थी जिसमें सरकार के लिए भी और मतदाता के लिए भी बहुत सी असुविधाएं थीं । पुरानी प्रथा में बक्सों का इतना ढेर लग जाता है कि अशिक्षित जनता भ्रम में पड़ कर गलती कर जाती है । कोई कोई परेशान हो कर बकसे के ऊपर ही अपना मतपत्र रख कर चले आते थे । इसका कुछ लोग नाजायज लाभ भी उठाते थे और उन मत पत्रों को बाद में उठा कर अपने उम्मीदवार के बकस में डाल देते थे । अधिकारी भी इनका दुरुपयोग कर सकते थे । इन सारी चीजों को दूर करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने यह नई पद्धति जारी की है । यह कम से कम दोष वाली है । वैसे दुनिया में ऐसी तो कोई पद्धति नहीं हो सकती

[पंडित भ० दी० मिश्र]

जिसके लिए कहा जाए कि यह सर्वथा निर्दोष है ।

लेकिन मैं कह सकता हूं कि आज जो प्रथा जारी की गई है यह कम से कम दोष वाली कही जा सकती है और इसमें क्या पढ़े लिखे और क्या गैर पढ़े लिखे सब के लिए यह सुविधाजनक है क्योंकि उसमें चिन्ह भी मौजूद है और नाम भी लिखा हुआ है । कोई पढ़ा या अनपढ़ा भाई बहिन इतना तो देखता ही है कि यह चिन्ह बैल का है, यह चिन्ह कमल का है और यह झोंपड़े का चिन्ह है और जिस पर भी उसकी मंशा हो उस पर उसको मुहर लगा देना है । अलबत्ता हाथ से जब चिन्ह बनाना पड़ता था तो दिक्कत थी और उसमें बहुत से लोग जो कि अनपढ़े लोग हैं उनको जरूर दिक्कत अनुभव हो सकती थी । अब यह जो मुहर कर दी गई है तो वोटरों को बड़ी आसानी हो गई है । लेकिन मैं समझता हूं कि हमारे विधि मंत्री महोदय जैसा कि सुझाव यहां पर अनेक माननीय सदस्यों द्वारा आया है कि वोटरों से मुहर लगाने में ठीक ठाक कोष्ठ के अन्दर कुछ इधर उधर गड़बड़ हो जाती है और इस कारण जो उनके वोट इनवेलिड करार दे दिये जाते हैं वह ठीक नहीं है । मुहर देखने के साथ साथ यह भी देखना चाहिए कि मतदाता का मत क्या रहा है और उसका मत उसी से सिद्ध हो जायेगा । अगर मोहर ठीक से कोष्ठ में नहीं लग पायी है या विभाजक रेखा के कुछ ऊपर नीचे हो गई है तो देखना चाहिए कि चिन्ह का झुकाव किस ओर है । अगर मुहर लगाने में नीचे वाली विभाजक रेखा छू भी गई है तो भी यह समझना चाहिए कि ऊपर वाले को मत दिया गया है । कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि मतदाता यह नहीं समझता कि उसे अमुक चिन्ह के लिए सामने जो कोष्ठ रखा गया है उस कोष्ठ में उसे चिन्ह लगाना चाहिए और वह गलती से कभी कभी अगल बगल वाले खानों में चिन्ह लगा दिया करता है । इस तरह की टेकनिकैल्टीज के कारण हमारे निर्णायक लोग जो ऐसे वोटों को अवैध डिक्लेयर, कर देते हैं यह मुनासिब नहीं है । अभी भी हमारे देश में काफी अशिक्षा फैली हुई है और इसलिए इन छोटी छोटी टेकनिकैल्टीज पर वोट इनवैलिड नहीं करार दिये जाने चाहिएं ।

मैं समझता हूं कि इस प्रथा के द्वारा कम से कम गलतियां हुई हैं और इस नवीन निर्वाचन प्रथा को अब तो पंचायतों में भी जारी कर दिया गया है क्योंकि पंचायतों में हाथ उठवा कर जो चुनाव कराये जाते थे उनमें बड़ी आपत्तियां आती थीं और होता यह था कि गांव में जो प्रभावशाली लोग होते थे जिनका आतंक होता था उनके पक्ष में लोग हाथ उठा दिया करते थे । लेकिन अब इस नवीन निर्वाचन प्रणाली के द्वारा उनको अपने मनचाहे व्यक्ति के निशान वाले खाने में अपनी मुहर लगानी होगी और इस तरह बगैर किसी दाबाव के वे आजादी के साथ जिसको भी चाहेंगे उसके खाने में अपनी मुहर लगा देंगे । ऐसा होने से जो मतदान को छिपाने की बात है वह भी पूर्णतया इसमें आ जातीहै क्योंकि उनको अपना वोट डालने के लिए किसी का सहारा नहीं लेना है । उनको तो केवल यह देख करके कि अमुक व्यक्ति जिसको कि वे वोट देना चाहते हैं उसका सिम्बल कहां है उस खाने में अपनी मुहर लगा देनी है । अनपढ़े लोग भी मैं समझता हूं कि अपने उम्मीदवार के सिम्बल को पहचान कर ठीक जगह पर अपनी मुहर लगा देंगे । और पढ़े लोग नाम को देख कर उसके सामने अपना चिन्ह लगा देंगे अब पर्चा बाहर ले जाने की बात भी समाप्त हो गई है । पहले ऐसा था कि शायद वे पर्चा बाहर ले जाते थे और उस बैलट पेपर को लोग पैसा देकर खरीद लिया करते थे और उन पर्चों को अपने पर्चों में लगा लेते थे । अब यह जाली पर्चा बाहर ले जाने पर रोक लगा देने से नहीं हो सकेगा और उसको उस पर चिन्ह लगा कर बक्से

में डालना होगा । बक्सा भी एक ही है और इसलिए उसमें खुलने की बात भी नहीं है । वह जिस किसी को वोट देना चाहेगा उसके खाने में मुहर लगा कर उस बक्से में अपने बैलेट पेपर को डाल देगा ।

हमारे मिश्र जी ने जो प्रस्ताव रखा है मेरी समझ में उसके पीछे मकसद यह है कि अगर इस पर्चे में अभी भी कोई ऐसी से दोष या त्रुटियां मौजूद हैं तो हमारे इलेक्शन कमिशन और विधि मंत्री महोदय को उनको दूर करने की चेष्टा करनी चाहिए ताकि हमारे इस देश में जो प्रजातंत्रीय शासन प्रणाली चल रही है उसके सम्बन्ध में हमारे संविधान ने जो हर एक प्रौढ़ देशवासी को मत देने का अधिकार दिया हुआ है वह सही सही अपने अधिकार को इस्तेमाल कर सके और अपना मत पत्र सही आदमी को दे सके । इन शब्दों के साथ मैं अपने मिश्र जी के प्रस्ताव का विरोध करता हूं और समझता हूं कि जो नई निर्वाचन पद्धति जारी की गई है उसी को कुछ थोड़े से आवश्यक संशोधनों के साथ लागू किया जाये जिससे कि बहुत कुछ देश को लाभ हो सकता है ।

सेठ अचल सिंह (आगरा) : सभापति महोदय, श्री विभूति मिश्र ने जो प्रस्ताव उपस्थित किया है मैं उसका समर्थन करता हूं । बात यह है कि इस मार्किंग सिस्टम के कारण हमारे देश के लोगों को और खास कर अनपढ़े लोगों को जिनकी कि काफी अधिक संख्या है, काफी कठिनाई अनुभव होती है और श्री विभूति मिश्र ने ठीक ही बतलाया कि किस तरीके से उसमें गलती होने की सम्भावना मौजूद है । उन्होंने यह भी बतलाया कि जब असेम्बलीज और यहां पार्लियामेंट में भी जहां कि एक से एक विद्वान व्यक्ति मौजूद हैं वोट करने में गलती हो जाया करती है और यह देखा गया है कि १० परसेंट और १२ पर सेंट वोट खारिज हो जाते हैं तब अशिक्षित भाइयों द्वारा तो और भी गलती होने की सम्भावना इसमें रहती है ।

इसके साथ ही साथ हमें यह चीज भी ध्यान में रखनी है कि मार्किंग सिस्टम में समय बहुत लगेगा जबकि बैलेट के जरिये बहुत कम समय लगता है । हमारा अनुभव है कि हमारे पिछले दो आम चुनाव कैसे शान्ति से सम्पन्न हुए । अब यह बात दूसरी है कि पहले वाली प्रणाली में लोग अपने पर्चे बाहर ले जाया करते थे और उनको इंटरेस्टड पार्टीज खरीद लिया करती थीं लेकिन यह कोई आम बाद तो नहीं थी । हमारे जो पिछले दो आम चुनाव हुए उनकी सराहना देश, विदेशों में हुई है । मार्किंग सिस्टम में जब देर लगेगी और वोटर रुकेंगे नहीं तो उसमें बूथ्स में झगड़ा भी हो जाने की सम्भावना है । इसलिये मैं समझता हूं कि जो पुराना सिस्टम है वह ठीक है और यह नवीन मार्किंग सिस्टम ठीक और मुनासिब नहीं होगा । इसलिए श्री विभूति मिश्र ने जो प्रस्ताव सदन के सामने प्रस्तुत किया है मैं उसका स्वागत और समर्थन करता हूं ।

श्रीमती सुभद्रा जोशी (अम्बाला) : सभापति महोदय, जो नया तरीका वोट देने का है उसका मैं समर्थन करती हूं और मैं समझती हूं कि श्री विभूति मिश्र जो यह प्रस्ताव लाये हैं उसकी आवश्यकता नहीं है ।

अभी जिन माननीय सदस्यों की मैंने बातें सुनीं तो कुछ ऐसा महसूस हुआ कि उनको गांव वालों के बारे में बहुत भ्रम है कि गांव वाले वोट डालना नहीं जानते हैं । मेरा भी एक ऐसे ही इलाके से ताल्लुक है जहां के कि लोगों को दूसरे लोग बहुत पिछड़ा हुआ और बैकवर्ड समझते हैं लकिन मेरा अपना अनुभव यह है कि हमारी जनता मत देना खूब जानती है । उनको वोट डालना अच्छी तरह से आ गया है । अब अगर वोटिंग में गलतियां हो जाती हैं तो उसमें उनके अनपढ़ होने से उसका कोई ताल्लुक नहीं रहता है । पुराने वोटिंग सिस्टम में जितनी खराबियां थीं उनका गांव वालों से कम

[श्रीमती सुभद्रा जोशी]

ताल्लुक है और शहर के लोगों से मैं समझता हूं कि ज्यादा सम्बन्ध है क्योंकि मेरा दोनों इलाकों से वास्ता पड़ता है शहरी इलाके से भी और देहाती इलाके से भी । खास कर मैं अपने दिल्ली के अनुभव से जानती हूं कि बैलट से वोट डालने में किसी उम्मीदवार का बगैर पसे के जीतना मैं असम्भव तो नहीं कहती परन्तु इतना मैं अवश्य कहना चाहूंगी कि मुश्किल अवश्य है । मैं आज इस चीज को चैलेंज के साथ कह सकती हूं । मैं उसमें पार्लियामेंट का नाम नहीं लेती हूं क्योंकि पार्लियामेंट के लिये हजारों का फर्क पड़ता है, लाखों का फर्क पड़ जाता है । डबल मैम्बर कांस्टीटुएंसी में सिंगिल मेम्बर कांस्टीटुएंसी में म्युनिसिपलिटियों में और जब यहां दिल्ली में असेम्बली थी तो उसमें बैलेट से वोट डालने का हमको इतना कटु अनुभव हुआ कि मैं आप से क्या बयान करूं । अब दिल्ली तो एक व्यापारिक शहर है । यहां पर पहली दफा तो हमने देखा कि चुनाव ठीक ठीक हो गये । लोगों को इन बैलेट्स से क्या क्या करामात हो सकती हैं यह शायद उन्हें मालम नहीं था लकिन दुबारा जो चुनाव हुए तो उनको उन बैलेट्स की करामात मालूम हो चुकी थी और हमने देखा कि उम्मीदवार लोग बलेट पेपर्स मंगवा कर खरीदने लग गये । इसका हमें उपचुनावों में भी अनुभव हुआ । यहां पर व्यापारियों की एक जमात बन गयी जो कि बैलेट सारे मंगा कर बाहर जमा कर लेते थे । कौन जीतता है अथवा कौन हारता है इससे उनका कोई सरोकार नहीं होता था बिल्कुल बिजनैस हाउसेज से बन गये थे जिनका कि काम सिर्फ यह होता था कि बैलेट बाहर मंगा कर जमा कर लें और जो भी उम्मीदवार सबसे ज्यादा उनके ऐवज में कीमत अदा करे उनको वह दे देंगे भले ही वह किसी भी जमात का उम्मीदवार क्यों न हो । इस को उन्होंने एक व्यापार का जरिया बना लिया था ।

सभापति महोदय, ऐसा अनुभव हुआ कि जेब में लोग बैलेट पेपर लेकर घूमते रहते थे और बाहर सौदेबाजी करते फिरते थे कि उसके ऐवज में कौन कितना पैसा उनको देने को तैयार है । एक केस का तो मुझे जाती तजुर्बा है और वह इस प्रकार है कि मुझे आकर एक साहब बतला गये कि एक आदमी बैलेट पेपर्स लेकर अपनी जेब में घूम रहा है और फी बैलेट पेपर २ रुपया मांग रहे हैं और आप चाहें तो उससे खरीद लीजिये । अब वह उम्मीदवार एक जेब कतरने वाले को जानते थे और उन्होंने अपने उस जेब कतरने वाले दोस्त से कहा कि भाई यह बैलेट पेपर्स उस आदमी की जेब से निकाल लो यह मुझ से पैसे मांगता है और मैं आपको बतलाऊं कि उनके दोस्त जेब कतरे ने बगैर पैसे दिये हुए चतुराई से उन बेचने वाले महाशय की जेब कतर डाली और वह बैलेट पेपर्स निकाल लिये और इस तरह वह वोट उनको मिल गये मैं समझती हूं कि यह और अन्य जो इस प्रकार की खामियां पहले के वोटिंग सिस्टम में थीं उनको इस निशान लगाने की नवीन निर्वाचन प्रणाली को चालू करके रोकने की कोशिश की गई है । मैं समझती हूं कि ऐसा कुछ बन्ध करने की अबहुत आवश्यकता थी और मुझे खुशी है कि ऐसी कोशिश की गई है ।

अब इसमें जो थोड़ी बहुत त्रुटियां हैं भी तो जाहिर है कि कोई एलेक्शन कमीशन या कोई भी व्यक्ति यह उम्मीद नहीं करता कि क्या गांव के आदमी और क्या शहर के आदमी इतनी अच्छी ड्राइंग जानते होंगे कि वे बिल्कुल सीधी सीधी लाइन में उसके आगे सही जगह पर निशान लगा सकेंगे । इतनी तो मुझे भी उम्मीद है कि एलेक्शन कमीशन भी ख्याल करेगा कि इधर उधर क्रौसिंग आगे पीछे हो जाना, या लकीर के ऊपर नीचे कुछ इधर उधर हो जाना, सिम्बल के ऊपर निशान लगा देना, गोल निशान लगा

देना हो तो टिक मार्क लगा देना, अब यह सब बातें हो सकती हैं और मुझे उम्मीद है कि पहली दफे जिस तरह की टैकनिकैलिटीज के कारण लोगों का नौमिनेशन पेपर रिजैक्ट हो गया था और बाद में एलेक्शन कमीशन ने इस बात की हिदायत निकाली कि इतनी छ टी छोटी बातों पर कि निशान गोल है या क्रौस है लम्बा है या छोटा है, ऐसी छोटी छोटी बातों के कारण वह उनके वोट को इनवैलिड नहीं करेंगे । इसके बाद मैं समझती हूं कि यह जो नया तरीका है इसका हमें स्वागत करना चाहिये ।

16 hrs.

श्री त्यागी : इनके वोटर यह शिकायत करते हैं कि औरतों का चुनाव अलग कर दिया जाये और सीटें अलग कर दी जायें, क्योंकि औरतों को ज्यादा वोट मिलते हैं और मरदों को कम मिलते हैं ।

श्री जगदीश अवस्थी : सभापति महोदय, आज इस सदन में इस नवीन मत-प्रणाली के सम्बन्ध में जो वाद-विवाद हो रहा है, उसमें हमारे मित्र, श्री विभूति मिश्र के प्रस्ताव का हमारे बहुत से सदस्यों ने विरोध किया है और मैं भी उनके प्रस्ताव का विरोध करता हूं इन तर्कों के आधार पर कि जो हमारे दो गत आम निर्वाचन हुए १९५२ और १९५७ में, उनमें काफी भ्रष्टाचार, पक्षपात आदि की शिकायतें हुईं और वह एक बहुत लम्बी कहानी है । अभी त्यागी जी ने कहा कि इन दो निर्वाचनों में कोई शिकायतें नहीं हुईं, लेकिन अगर वह देखेंगे, तो वह पायेंगे कि इन दो निर्वाचनों में पक्षपात की काफ़ी शिकायतें हुईं । इसलिए, उनको कैसे रोका जाये और किस प्रकार से इस देश की जनता में निर्वाचन की ईमानदारी के प्रति विश्वास पैदा हो, इस नवीन पद्धति का आविष्कार किया गया । मैं समझता हूं कि इस प्रणाली से जहां पक्षपात और भ्रष्टाचार रुकता है, उसके साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह होती है कि मतदाताओं को शिक्षा भी मिलती है । अभी हाल में मेरे निर्वाचन -क्षेत्र में एक असेम्बली का उपचुनाव हुआ था, जिसमें इस मत प्रणाली का प्रयोग किया गया और वह प्रयोग सफलता के साथ हुआ । उस में दो तीन कठिनाइयां जरूर आइं, जिनकी ओर मैं विधि मन्त्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । जो त्यागी जी और श्री ब्रजेश ने कहा है, उसके अतिरिक्त एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो मतदान पत्र छपते हैं, जिनके नमूने पहले उम्मीदवारों को दिये जाते हैं, ताकि उनका प्रचार हो सके, उनकी तादाद बहुत कम रहती है । मैं चाहूंगा कि जहां निर्वाचन हो, उपचुनाव हो, या आम चुनाव, वहां इस प्रणाली के प्रसार के लिये अधिक से अधिक संख्या में नमूने के मतपत्र राजनैतिक पार्टियों और उम्मीदवारों को पहले से दिये जायें, ताकि वे जनता में और मतदाताओं में उसका ठीक ठीक प्रचार कर सकें ।

इसके साथ ही साथ इस बात की भी बड़ी आवश्यकता है कि सरकार को भी इस ओर बहुत ही सक्रिय होना चाहिये । हमारे चुनाव आयोग के कर्मचारियों को भी इसका अधिक से अधिक प्रचार करना चाहिये । मुझे इस बात का दुख है कि जो अभी उपनिर्वाचन हुआ—मैं अपने क्षेत्र की बात कह रहा हूं—इस प्रणाली के सम्बन्ध में वहां जितना प्रचार सरकारी कर्मचारियों को करना चाहिये था, वह नहीं हुआ । उस की बहुत ज्यादा आवश्यकता है ।

कुछ मित्रों ने कहा है कि यह प्रणाली बड़ी असुविधाजनक होगी । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में, जहां सारे हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा मतदाता हैं, अभी आगामी महीनों में पंचायतों के आम चुनाव हो रहे हैं, जिसमें प्रधानों के चुनावों में इसी गुप्त मतदान प्रणाली का प्रयोग किया जायगा । मैं समझता हूं कि आगामी चुनाव के लिए सारे उत्तर प्रदेश में यह एक रिहर्सल और प्रयोग हो जायगा । आम चुनाव से पूर्व

[श्री जगदीश अवस्थी]

यह भी सम्भव है कि उत्तर प्रदेश में परिषदों के भी चुनाव हों। उस में भी इस का प्रयोग हो जायगा। म्यूनिसिपैलिटीज के भी चुनाव हो चुके हैं। जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि इस प्रणाली से लोग अवगत कम हैं, मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान में जहां सबसे ज्यादा मतदाता है, वहा शहरों और देहात के काफ़ी लोग इस विषय में शिक्षित हो चुके हैं। मैं इतना ज़रूर चाहूंगा कि जैसा कि मैंने सुझाव दिया है, इसके प्रसार के लिये ज्यादा प्रयत्न किया जाना चाहिये।

कुछ राज्यों में बहुत सी राजनैतिक पार्टियों मान्यता-प्राप्त पार्टियां नहीं हैं। इस लिये उनको वे सुविधायें नहीं मिल पाती हैं, जो अन्य पार्टियों को मिलती हैं। चुनाव आयोग को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये कि जो पार्टियां उसके नियमों के अनुसार मान्यता प्राप्त नहीं कर सकी हैं, लेकिन जिनका राजनैतिक अस्तित्व है और राजनैतिक संगठन है, उनका सहयोग उसको प्राप्त करना चाहिये और जो उम्मीदवार खड़े हों, उन को अधिक से अधिक मतपत्र के नमूने दिये जायें, ताकि उनका प्रचार हो सके।

पहली मतदान प्रणाली के बारे में लोग सबसे बड़ा आरोप यह लगाते थे कि गणना के समय अक्सर लोग पक्षपात करते थे और बेईमानी की शिकायतें आती थीं। इस प्रणाली के बाद गणना में कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती है। एक बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिये कि जब मतदाता मतदान करने जाता है, उस समय शिक्षित मतदाता भी काफ़ी ट्रेनिंग मिलने के बावजूद मनोवैज्ञानिक कारण से उस बात को भूल जाया करते हैं। यदि यह सम्भव हो सके, तो यह व्यवस्था की जाये कि जहां पर मतदान क्षेत्र हों, पोलिंग स्टेशन हों वहां पर एक सरकारी व्यक्ति बैठना चाहिये, जो भली प्रकार से मतदान के पूर्व उस मतदाता को समझा सके कि किस प्रकार से उसको मतदान करना होगा, ताकि उस को सुविधा हो सके।

मैंने निर्वाचन में यह देखा है कि मतदान पत्र पर जो खाने बने होते हैं, उनमें दूरी कम होती है और लाइन ठीक नहीं होती है, जैसा कि त्यागी जी ने कहा है। मुझे आशा है कि चुनाव आयोग इस बात का ध्यान रखेगा कि बीच में काफी जगह छोड़ी जाये, जिससे लोगों को ठीक तरह से चिह्न लगाने में सुविधा हो सके।

इन शब्दों के साथ मैं इस नवीन प्रणाली का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि श्री विभूति मिश्र अपने प्रस्ताव को वापस ले लेंगे, क्योंकि संसद् के माननीय सदस्यों ने इसके पक्ष में विचार व्यक्त किये हैं कि इस प्रणाली को अपनाना चाहिये, ताकि चुनाव की निष्पक्षता के बारे में जो सन्देह हैं, वे स्वतः समाप्त हो जायें।

इन शब्दों के साथ मैं श्री मिश्र के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

चौ० रणबीर सिंह (रोहतक) : सभापति महोदय, श्री विभूति मिश्र ने जो प्रस्ताव पेश किया है, मैं उस का समर्थन करता हूं और समर्थन करते हुए एक बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी तक यहां पर कुछ ज्यादा यह ख्याल रखा गया कि जो आदमी पढ़े लिखे नहीं हैं, वे निशान लगाने में ग़लती करते हैं। जिस सदस्य को भी किसी पार्टी का व्हिप बनने का तजुर्बा हुआ है, वह या आप का यह सैक्रेटेरियट इस बात का जवाब दे सकता है और मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय भी ज़रा बतायें कि लोक सभा में नई प्रणाली के अनुसार . . . . . .

श्री त्यागी : सिंगल ट्रांसफ़रेबल वोट।

चौ० रणबीर सिंह : . . . सदस्य जो कई कमेटियों के मेम्बर चुनते हैं, उस में कितनी दफ़ा कितने सदस्यों के वोट रिजेक्ट हुए ।

श्री त्यागी : डिविज़न में भी ।

चौ० रणबीर सिंह : डिविज़न की भी बात है । यह कहा जाता है कि बटन ठीक तरह से नहीं दबा सकते हैं ।

श्री त्यागी : बे पढ़े-लिखे ।

चौ० रणबीर सिंह : पढ़े लिखे भी ।

आज प्रधान मंत्री का बटन भी ठीक से नहीं दबा । या तो वह ग़लत दबा गये, या वह दबा ही नहीं पाये । यह बात हम यहां पर रोज़ाना देखते हैं, हालांकि सैक्रेटेरियट का यह क्लेम है कि मशीन में कोई खराबी नहीं है । एक दफ़ा ग़लती होती है और दूसरी दफ़ा वह सही होता है । यह ज़ाहिर करता है कि इतना मोटा बटन भी जब पार्लिमेंट के मेम्बर सही नहीं दबा सकते, तो एक देहाती कैसे दबायेगा ।

यही नहीं, मंत्री महोदय यह भी बतायें कि जिस जिस स्टेट में कौंसिल या राज्य सभा का इलैक्शन हुआ, उस में कितने एम० एल० एज़० का वोट रिजेक्ट हुआ इसलिये कि वे सही तौर पर निशान नहीं लगा सके । मैं अपनी स्टेट और दूसरी स्टेट्स के बारे में भी जानता हूं । उत्तर प्रदेश के बारे में भी मुझे मालूम है कि किस तरह वोट्स वहां खराब हुए । आम आदमियों के ही नहीं असैम्बलियों के मैम्बरों तक के । राज्य सभा और लोक सभा में कई बार वोटिंग हुआ है उन का क्या परसेंटेज वोटों के रिजैक्ट होने का रहा है, उस को आप देखें और उस से ही अंदाज़ा लगावें कि किस कद्र वोट रिजैक्ट हो सकते हैं ।

मैं नहीं कहता कि पहली चुनाव की जो पद्धति थी उस के अन्दर कोई ग़लती नहीं है, उस के अन्दर भी कई खराबियां हैं । सवाल यह है कि देश के नेताओं ने और देश की जो प्राविजनल पार्लिमट थी उस ने जो कानून बनाया वह क्यों बनाया और क्यों इलैक्शन कमिशन ने यह समझा कि पुरानी पद्धति ठीक है । सभापति महोदय, तब के हालात में और आज जो हालात हैं, उन में कोई तबदीली नहीं हुई है । जो सन् १९५१ में बच्चा पढ़ने बैठा था वह आज वोट देने का अधिकारी नहीं हुआ है । वोटर बनने के लिए २१ बरस की आयु का होना लाजिमी है । जो १९४७ में भी पढ़ने बैठा था वह भी आज वोटर नहीं बन पाया है । वह भी आज १८ बरस का ही हुआ है और अगर साल का पढ़ने बैठा था तो आज वह बीस साल का ही हुआ है । देश ने दूसरी बातों में काफी तरक्की की है, इस से मैं इन्कार नहीं करता हूं लकिन जो पहला मतदान का तरीका अपनाया था और जिन हालात को देख कर अपनाया था, उन हालात में कोई फर्क आ गया है, ऐसा अगर कोई समझता है तो वह ग़लत समझता है ।

इस के अलावा मैं इलैक्शन कमिशन से और माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि जो कैंडीडेट जीतता है वह कितने वोटों से जीतता है आम तौर पर । मेरा यह दावा है कि पचास प्रतिशत केसिस में स्टेट असैम्बली के लिये जो खड़ा होता है, एक हज़ार वोटों से ही या तो जीतता है या हारता है । हमारे विभूति मिश्र जी ने कई हलकों का हवाला दे कर बताया है कि हज़ार से ज्यादा वोट रिजैक्ट बहुत सी जगहों पर हुए हैं । इस का मतलब यह हुआ कि अगर ये वोट खराब न जाते तो जो कैंडीडेट हारता है वह जीत जाता । आप तो वकील हैं और आप जानते हैं कि जो कसूरबार माना जाता है या दूसरे मानों में जो हार गया है तो उस में जो डाउट की चीज़ है, वह एक्यूज्ड है

[चौ० रणबीर सिंह]

की फेवर में जाती है। इस का मतलब यह हुआ कि लज़ करने वाले को ये वोट गये। फ़र्ज़ कीजिये कि मैं यह दावा करता हूं कि तीन हज़ार वोट जो कैंसिल हुए हैं वे मुझे मिले तो चूंकि मैं हारा हूं, इस वास्ते दो हज़ार से मैं जीत जाता हूं। मैं तो कोई वकील नहीं हूं लकिन मिनिस्टर साहब होशियार वकील हैं और इसे वह अच्छी तरह से जानते हैं। इस का जवाब जो ट्रीब्यूनल बनते हैं उन के पास नहीं होता है कि ये वोट हारने वाल के पास नहीं आते। जो बैनीफिट आफ डाउट है वह हारने वाले को मिलने चाहियें। कई ट्रिब्यूनल्ज़ इस तरह के फैसले दे सकते हैं और अगर इस के विपरीत किसी ने फैसला दिया है तो मैं समझता हूं ठीक नहीं होगा। अगर यह हो तो आधे से अधिक इलैक्शन पैटीशंस जो हैं, एक्सैप्ट होंगी।

जो इधर के भाई बैठने वाले हैं और जिन्होंने इस बिल की मुखालिफत की है उन की यह मुखालिफत मेरी समझ में आ सकती है क्योंकि उन का विश्वास है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन चलती है वह ईमानदारी से चलती है। लेकिन जो भाई उधर बैठते हैं उन्होंने जो नुक्ताचीनी की है, वह इसलिये की है कि वे समझते हैं कि जो सरकारी एजेंसी है, जो इलैक्शन करवाते वाल हैं वे सब बेईमान हैं। मैं उन से पूछना चाहता हूं कि इस तरीके से इस में क्या फर्क आ गया। अगर इस देश में सौ रुपये के नोट जोकि रिजर्व बैंक छापता है उसी तरह के नोट बन सकते हैं तो सारे के सारे बैलट बाक्स और बैलट पेपर बदलने में क्या मुश्किल लगती है, क्या उस में मुश्किल पेश आ सकती है? अगर कोई यह समझता है कि ऐसा नहीं हो सकता है तो मेरे खयाल में उस की जो समझ है वह दिवालिया हो गई है। अगर कोई कहता है कि इस बाक्स पर मेरी मुहर है और इस को बदला नहीं जा सकता है तो मैं समझता हूं वह ठीक नहीं कहता है और यह चीज़ भी हो सकती है।

जहां तक इस दूसरे तरीके को अमल में लाने का ताल्लुक है चूंकि उधर बैठने वाले समझते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन बेईमान है, इस वास्ते हमारे मिनिस्टर साहब ने सोचा कि एडमिनिस्ट्रेशन को ही बीच में से निकाल दिया जाय। लेकिन मैं बतलाना चाहता हूं कि जो अपोज़ीशन वाला है, जो हारने वाला है वह कभी नहीं कहेगा कि जो जीता है वह ईमानदारी से जीता है चाहे किसी सिस्टम से भी आप इलैक्शन करवा लें। जो जीत कर आवेगा वह यह नहीं कहेगा कि किसी गलती की वजह से वह जीत कर आया है या सही तौर पर इलैक्शन नहीं हुआ है। जो उस की पार्टी के उम्मीदवार हारे हैं उन के बारे में वह यही कहेगा कि किसी गलती की वजह से वे हारे हैं। हमारे माननीय मंत्री जी ने इस नई पद्धति को डर की वजह से माना है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इस में भी डर तो रहेगा ही। मैं आज कहता हूं कि अगले चुनाव के बाद भी आप पर यह इल्ज़ाम आयगा कि चुनाव ठीक नहीं हुए . . .

श्री त्यागी : अगले चुनाव में इन में से कोई भी कामयाब नहीं होगा।

चौ० रणबीर सिंह : कुछ तो इन में से कामयाब होंगे ही।

तो जो जीत कर आयेंगे वे कहेंगे कि जो हारे वे इसलिये हारे कि बैलट बाक्स को उड़ा दिया गया, बैलट पेपर्ज़ नये डाल दिये गये, जाली डाल दिये गये और उस के बाद मुहर लगा दी गई। यही एलीगेशन्स आप के विरुद्ध आने वाले हैं।

मैं एक बात का माननीय मंत्री जी से जवाब चाहता हूं। इस का जवाब किसी भी माननीय सदस्य ने नहीं दिया है। एक आदमी

को इलैक्शन के दस दिन पहले विदड्रा करने का अधिकार है । अगर मैं दस दिन पहले इलैक्शन के विदड्रा कर जाता हूं । तो क्या माननीय मंत्री जी समझते हैं कि वह इस अर्से में सारे हिन्दुस्तान के लिये बैलट पेपर छपवा देंगे और अगर उन्हें मेरे जिले में ही छपना है तो वह इस बात का कैसे दावा कर सकते हैं कि किसी अफसर के साथ मिल कर कोई इन्हें छपवा नहीं लेगा या छपवा नहीं सकूंगा । अगर वह समझते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है तो मुझे उन की यह बात जंचती नहीं है ।

अब मैं एक बात कह कर समाप्त करता हूं । मैं आप को बतलाना चाहता हूं कि वोटर भी बेईमानी कर सकता है । अगर कोई समझता है कि यह सिस्टम फूल प्रूफ है तो वह गलती करता है । मतदाता के बे-ईमान होने के कई तरीके हैं । मिसाल के तौर पर कहा जा सकता है कि मतदाता एबसेंट हो जाय । जब किसी ने गिना और उस को पता चला कि चार हजार की कमी है तो वह चार हजार दूसरे कैंडीडेट के वोटर्ज को कह सकता है कि एबसट कर जाओ, गैर हाजिर हो जाओ और वे मतदाता ऐसा कर सकते हैं ।

पंजाब में पंचायतों के लिए इलैक्शन हुए । कुछ को गिला है कि आदमी झूठे भुगत गये हैं । कलकत्ता के अन्दर बड़ा शोर हुआ, फोटो लगनी चाहिये या नहीं लगनी चाहिये । यह क्यों हुआ ? यह इसलिये हुआ कि वोटर दुबारा भुगत सकते हैं या स्याही को मिटा सकते हैं । बेईमानी तो वोटर की तरफ से भी हो सकती है । इसलिये मैं समझता हूं कि इस तरह की बातों को दूसरा जो तरीका है वह भी बन्द नहीं कर सकता है । और कोई तरीका मेरे ख्याल में मुम्किन ही नहीं है । अगर यह दूसरा तरीका इस्तेमाल में लाया जाता है तो मुझे यकीन है कि अगली दफा माननीय मंत्री महोदय खुद इस को एमेंड करवाने के लिये यहां आयेंगे ।

सरदार इकबाल सिंह (फ़ीरोजपुर) : सभापति महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । मैं समझता हूं कि जो सिलसिला अब चल रहा है इस को अगर बदला गया तो खराबी पैदा होगी और खास तौर पे देहातों में यह पैदा होगी । वहां पर लोग अनपढ़ हैं और खास तौर से वहां की जो औरतें हैं या जो हरिजन हैं, उन के खिलाफ यह सिस्टम जायगा । चूंकि वे पढ़े लिखे नहीं हैं, पिछड़े हुए हैं, वे नहीं समझ सकते हैं कि मुहर कहां लगानी है और कहां नहीं लगानी है । अगर वे ठीक से मुहर नहीं लगायेंगे तो उन का वोट खराब चला जायगा । उन के लिये यहां तक समझना मुश्किल है कि किस डिब्बे में वोट डालना है और इस चीज को हम ही जानते हैं कि उन को समझाने में हमें कितनी मुश्किल पेश आई है और कितना समय खर्च करना पड़ा है कि बैल वाले डिब्बे में वोट जा कर डालो । दो इलैक्शंस के बाद अब जा कर लोगों को पता चला है कि वोट किस ढंग से डालना है । अब इस को आज फिर बदल दिया जाता है तो यह एक भूल होगी । मैं मानता हूं कि इस सिस्टम से शहरों में फायदा हो सकता है । शहर वाले ज्यादा आसानी से इस चीज को समझ सकते हैं । लेकिन हिन्दु-स्तान की ज्यादा तर आबादी शहरों में नहीं गांवों में निवास करती है और उस में से बहुत ही कम लोग पढ़े लिखे हैं । आप देहातों में जा कर देखें कि वहां का वायुमंडल कैसा है और क्या वे महसूस करते हैं । इस वास्ते अगर आप को इस को लागू करना ही है तो इस को पहले शहरों में लागू करें । अगर आपने इस मामले को एक टैक्नीकल मामला बनाना ही है तो आप बना सकते हैं लेकिन इतना मैं अवश्य कहूंगा कि अगर मामूली सी गलती भी उन से हो गई तो उन के वोट रिजैक्ट हो जायेंगे और उस का नतीजा यह होगा कि जो हारने वाला है वह जीत जायगा और जीतने वाला हार जायगा । शहरों में जो वोट रिजैक्ट होते हैं उन की परसेंटेज कम होती है और इस की वजह यह है कि

[सरदार इकबाल सिंह]

यहां के लोग ठीक वोट डाल सकते हैं लेकिन अगर आप ने इस पद्धति को गांवों में लागू किया तो आप न्याय नहीं करेंगे । इस वास्ते अगर आप इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना ही चाहते हैं तो तजुर्बे के तौर पर इस को शहरों में शुरू कीजिये और जो तजुर्बा आप को हासिल हो उस के आधार पर इस को देहातों में भी शुरू कीजिये । देहातों में मौजूदा हालत में इस को बिल्कुल भी शुरू नहीं किया जाना चाहिये । इस का कारण यह है कि देहातों में लोग इस को समझ ही नहीं सकते हैं और खास तौर पर औरतें तो इस को समझ ही नहीं सकती हैं । बाकी चीजों का तो वहां इंतिजाम हो सकता है लेकिन गलत मार्किंग का इंतिजाम नहीं हो सकता है और अगर इस को देहातों में लागू किया गया तो यह उन के साथ एक बेइंसाफ़ी होगी । इस वास्ते इस का पहले आप शहरों में तजुर्बा कर लें और अगर आप समझें कि यहां पर यह कामयाब रहा तो फिर आप इस को देहातों में भी ले जा सकते हैं । तब तक वहां पढ़ाई लिखाई ज्यादा हो जायगी, लोग समझने लग जायेंगे । अगर आप ने इस को वहां लागू करना ही है तो पहले पंचायतों की जो इलक्शंस होती हैं,उन में कर के आप देख लें । इन इलैक्शंस में तो ज्यादा लोग वोटर्ज को समझाने वाले होते हैं क्योंकि म्युनिसिपल और पंचायत इलैक्शंस में कैंडीडेट्स और उन के एजेंटों की तादाद बहुत ज्यादा होती है, वोटर्ज को समझाने वालों की तादाद बहुत ज्यादा होती है और इस सिलसिले को पंचायतों के इलैक्शंस में चला सकते हैं । अगर पंचायतों के इलैक्शनों में इस सिस्टम को पहले नहीं चलाया जायगा और एक दम बड़े इलाकों में इस को चालू कर दिया जायगा तो यह ठीक नहीं होगा ।

चौधरी साहब ने भी कहा कि कितने परसेंटेज लोग गलत वोट डाला हैं । जिन्हें इलेक्शन का तजरबा है वह जानते हैं कि कितने लोग गलत वोट डाल देते हैं । आप देखें कि जो लोग डिब्बों तक में गलती कर जाते हैं वे निशान लगाने में कितनी गलती करेंगे । मैं समझता हूं कि यह नया तरीका जारी करना प्रेक्टिकल बात नहीं है । इसलिये मैं रिज़ोल्यूशन का समर्थन करता हूं ।

Shri T. Subramanyam (Bellary): Mr. Chairman, I oppose the Resolution which has been moved by Shri Bibhuti Mishra and I support the system of marking which has come into vogue recently. I support the system of marking because the fears or apprehensions that have been expressed that villagers do not know how to exercise their vote by this new method have been disproved by experience in the bye-elections to this House and also in the taluk board and panchayat elections recently held in Mysore State. Of course, we cannot devise a system of elections which is absolutely or perfectly free from any kind of shortcomings or defects. But comparing this with the previous election where the exercise of votes was by means of colour, I should say that this is subject to the least difficulty and disadvantage.

My hon. friends say that confusion is created in the minds of the villagers. That is not true. At least in the elections to the panchayats and the taluk boards in Mysore State that has not been the experience. Under the previous system, it was reported, ballot papers were brought, collections were made and ballot papers were given to a particular candidate. There was a lot of room and scope for abuse and misuse. That cannot be done under the marking system because every ballot paper has to be put in the box specifically in the presence of the polling officer. Therefore, there is no question of any bollot paper being removed from the box.

Considering all these factors and seeing also the experience of the elections to panchayat boards and taluk

boards in Mysore State, I strongly support the marking system, because the other system is riddled with many defectes and difficulties.

Shri Achar: I support the resolution of my hon. friend, Shri Bibhuti Mishra for the very very simple reason that the percentage of invalid votes has increased very much by the system of marking. Shri Mishra probably knows the conditions very well in the rural areas and that is why he has brought in this Resolution. Though most of the arguments by Members were in Hindi and I was in the unhappy position of not understanding what they said, I could follow one argument which was put forward, and that is that it leads to corruption. The argument was that the voters can be bribed and ballot papers can be purchased. I submit that some method must be found to get over this difficulty because the simpler the method of voting the better it is.

I have felt during the last two or three bye-elections and the taluk board elections in our State that the number of invalid votes have increased very much by this marking system. In bye-election there are 1,500 invalid votes and the election is decided sometimes by hardly 100 to 200 votes. If in such election there are 1,000 invalid votes then certainly that system of election is wrong. So we must try to find out some other method by which the real wishes of the people could be ascertained.

So, I venture to suggest one method. In that room, where we are having marking, we can keep ballot papers with symbols printed on one side, which could not be seen from the other side. If these ballot papers are kept there, then it will be a very simple method. Any illiterate villager can go there, pick up the ballot paper with the symbol printed on it, fold it and put it in the box in the presence of the polling officer.

Shri A. K. Sen: Mr. Chairman, the discussion of this rather important matter has been as lifely and as thought-provoking as has been expected from the very beginning. The House will recall that ever since this system has been introduced there have been numerous questions asked on the floor of the House and answers have also been given from time to time, indicating the reasons which weighed with the Election Commission in favour of introducing this system. The same point would be indicated by me in reply but I am happy to note that, by and large, members have indicated their preference in favour of the new system. I do not call it a new system, because the House will recall that this marking system was prevalent before the general elections of 1952. In fact, the general elections of 1945 were held under the marking system. When adult franchise was introduced for the first time under the Constitution, it was felt that for a few years at least, when absolutely illiterate villagers would be called upon to exercise their franchise, it would be be ter to make the operation more intelligible and more easy for them than possibly would be the case if we started the exercise of adult franchise straightaway with the marking system. It was never thought that the system which prevailed in the general elections of 1952 and 1957 was going to remain permanent, because they cannot for various reasons which I shall endeavour to explain to you now.

The question was as to when the marking system be revived in order to make it applicable under a system of universal adult franchise. In these matters, I wish the House would place the usual reliance which it does, and it has always done, on the judgment of the Election Commission. These matters have from the very beginning been entrusted with the Election Commission, and the Election Commission has, from time to time, recommended to the House in what way our election should be conducted. We had several Acts passed by this House, by the Parliament, and the

[Shri A. K. Sen]

elections of this country under a system of universal adult franchise, notwithstanding the alleged illiteracy of the voters, has not only been successful but, if I may say so without flattering ourselves, has evoked the admiration of the entire free world.

I am not prepared to admit that our voters have not exercised their franchise intelligibly. In fact, the elections of 1952 and 1957, as also the bye-elections which intervened during this period, have negatived any such suggestion. The two general elections have proved that the voters have voted intelligently, they have exercised their franchise in a way which has condemned unpopular men and which has suported popular man. They have also indicated their preference in favour of the party which they thought should run the Government, either of the State or of the Centre.

Certainly there have been errors here and there. Errors there must be anywhere in the world where general elections call into the arena over 200 million people to come and vote. But having regard to the largeness of the country and the enormous number of voters that were called upto to exercise their franchise at every general election, the system of elections which we have prescribed on the recommendations of the Election Commissioner has been proved to be successful. It has not proved to be foolproof as no system can. Therefore our reliance on the judgment of the Chief Election Commissioner and his recommendations has been justified. There is no reason why we should not extend the same reliance on the judgment of the Chief Election Commissioner as to the timing of the initiation of the marking system. I do not see any reason why we should not accept that recommendation.

The only argument which has been advanced is that even hon. Members of Parliament cannot press the buttons properly and how can the illiterate voters stamp the ballot paper properly. That is the only argument I have heard, nothing else, against the many weighty arguments in favour of the adoption of the marking system. If hon. Members of Parliament cannot press the buttons properly then we must admit that education is not a relevant factor, because notwithstanding educated people are liable to commit errors. If education or literacy is not a relevant factor, the entire argument falls to the ground. Then the question is which is more easy for the ordinary voter in order to enable him to exercise his preference properly and correctly. For that purpose we have to examine the two operations in order to understand which is more suited to the ordinary man in the village.

Let us talk of the village first because even now India lives in the villages. The operation that we are accustomed to at the present time and which we have followed in 1952 and 1957 consists of putting as many ballot boxes in a covered room as there are candidates, each ballot box bearing the symbol of the candidate concerned. If there are ten candidates, there are ten ballot boxes. The voter goes to the presiding officer first, takes the ballot paper and then has to drop it inside the ballot box containing the symbol and the name of the person in whose favour he is expected or he has decided to vote. Let us say that there are five, six or seven boxes each with a symbol. He has to fold the ballot paper, pick out the particular box and then put his ballot paper inside. He takes the ballot paper from the presiding officer, goes inside a covered room, picks out his ballot box and then puts his ballot paper inside the box. This is the operation in short.

What is the present operation going to be. He takes the ballot paper containing as many symbols as there are candidates as originally there were as many ballot boxes as there were candidates. In the original case, he had

to choose one ballot box out of so many from the symbol born by each ballot box. Now, he has to choose one of these symbols from one paper instead of looking around on a table where so many ballot boxes may be placed. These symbols are printed in such a way that he cannot possibly miss them. Then he is instructed by the returning officer himself that he has to put his mark, whatever may be the mark, inside the space where the symbol occurs. He can put it anywhere. It is a fairly big space. There are two symbols as hon. Members will see from a recent bye-election from Dhanbad. You will see the Congress candidate and the independent candidate with their respective symbols. The voters are given, that is, those who cannot handle pencils, this very simple gadget called the stamp with which they make the impression. That is also shown by the returning officer. How is that operation more difficult than finding all by himself out of so many ballot boxes the particular box he is wanting and then putting his ballot paper inside?

I know many cases where the ballot boxes are put in such a way that the man fails to find his ballot box and drops the ballot paper anywhere he likes or puts it nowhere and brings it away with him. I cannot at all see any reason for imagining that the ordinary intelligent voter who can find his ballot box with the help of the symbol that the ballot box bears cannot find the symbol against which he has to put his mark. The two operations appear to be equally simple and one certainly is not ever so much difficult than the other that the so-called illiterate voter is likely to go astray. In fact, I am not at all prepared to admit that the system that we are going to adopt now is more difficult than the other system or involves a more difficult operation.

The recent bye-elections have also proved the correctness of this. The reason why errors have occurred in certain constituencies more than in others is because the candidates themselves have not taken the trouble to educate the person or the returning officer concerned with the help of the agents of the respective candidates sitting in the room of the returning officer had not taken sufficient precaution to educate the voter when he collects his ballot paper and to tell him simply this, "If you want to vote for the pair of bullocks, put it there; if you want to vote for the flame, put it there; or if you have to vote for the lamp, put it there." That is a simple instruction which it is equally simple to carry out. I apprehend that the reason why some voters had committed mistakes is because they have not been told what to do. The fault lies not only with the returning officers but also with the agents of the candidates and also with those who had carried out the work of canvassing before the actual elections.

Shri Warior: Inside the polling booth, we cannot say anything.

Shri A. K. Sen: The returning officer can. If the returning officer does not the agent can make him do it. That is what I am saying. If the returning officer does not do his duty of explaining what the voter is to do, the agent can ask the returning officer to do so. Why can he not do this? I do not understand that. He cannot talk to the voter, but certainly he can pull up the returning officer if he does not do his duty.

I would like to give to hon. Members figures from certain bye-elections in certain typically rural constituencies. Of course in the urban constituencies the errors have been very, very negligible—almost nothing. In the recent bye-election in a constituency in Madras which consists of Adivasis and a typically rural population, the figures are very inspiring. The constituency concerned is Tiruvadanai Assembly constituency in the Madras State. 98·3 per cent. of the voters are predominantly rural. Yet, it appears from the percentage of rejected votes that they voted extremely correctly. In fact the percentage of rejected votes is only about 1· some per cent.

[Shri A. K. Sen]

Then, in the recent Gurgaon Parliamentary constituency bye-election, about which my hon. friend, Shri Prakash Vir Shastri had spoken, the constituency is typically rural. I cannot imagine that this is more advanced than others. The percentage of rejected votes was only 3.6. It had 250 polling stations in five different districts and polling was carried on simultaneously in all the polling stations. Yet the percentage of rejected votes was only 3.6. In a typically tribal area, where possibly the population was extremely backward, in the State of Bombay, in Bhiloda—the population was mainly of Bhil tribal people—the people voted in a recent Assembly bye-election and the percentage of rejected votes was 8·6. I have no doubt that with better education both on behalf of the candidates and by the Returning officers, this will be very much less. With a little bit of improvement in the ballot paper itself, which the Chief Election Commissioner is seeking to do as a result of the experience gained in the recent bye-elections, it is hoped that the ballot papers will be printed with the symbols in such a way that it will be an easy job for the voter to put his mark. The mark may be anything, either a cross or anything. He has to put it inside the big space containing the symbol. I presume that would prove very very useful. It will eliminate most of the corrupt practices which take place today, under the present system.

Pandit D. N. Tiwari: If they put their mark on the symbol itself of the candidates, what would happen?

Shri A. K. Sen: Anywhere. The name of the party and the symbol are printed. These are the two areas. They can put anywhere they like. Any mark. I am not prepared to believe that our people are such idiots.

Shri Surendranath Dwivedy: Not at all.

Shri A. K. Sen: The only thing is, we do not take enough care to educate them.

Pandit Munishwar Dutt Upadhyay (Pratapgarh): They are not educated; but they are not idiots at all.

Shri A. K. Sen: Education has nothing to do with this. We have ourselves seen the examples of Members who are educated persons commit errors in pushing the buttons. I do not think education has anything to do with this. It is training. Educating means educating in the operation involved in this process. That education does not require a knowledge of the Three R's, but only knowledge in the simple operation of putting the mark on the symbol which he chooses.

The corruptions against which this system was designed were many. First of all, it was a common thing, let us admit very very frankly, that poor voters were tempted to take away the ballot papers and sell them for a price. Nothing is more injurious to a free democracy than a system which allows the voters to take away the ballot papers and sell them for a price. Why does he do so? Because, the man would ensure that before paying the money, the ballot paper is brought to him to be safely deposited by a safe man inside the proper ballot box. The present system would not allow a voter to carry away the ballot paper. The ballot paper will be put in the box in the presence of the Returning officer.

The next point was multiplicity of ballot boxes. Apart from the expenditure involved, it also led to corrupt practices being indulged in if the Returning officer or those who were presiding at particular booths were not impartial. They would arrange the boxes in such a way that the man whom they prefer would manage to have his box right in front in such a way that a man entering the room will see that only and the other boxes will be kept in such a way that they will be in the dark, and the symbol will not be noticed. One ballot box will be kept right in front. This practice will be eliminated.

Another, which was a frequent experience in every election, especially in the rural areas, as Pandit Brij Narayan "Brijesh" told us, was, people would go, take the ballot paper, put it anywhere they liked, do namaskar and come away. They would put it on the ballot box or on the floor, anywhere. The two reports of the Election Commission pointedly refer to this unfortunate practice. This would do away with that also.

There were complaints in many elections, on behalf of the defeated candidates that ballot papers were mixed up. There is a chance. I have seen it myself. In fact, when it is handled by officers who are not honest enough, there is a chance of the ballot papers getting mixed up even at the time of counting. Take, for instance, the counting in a parliamentary seat. So many tellers sit on the table and these ballot boxes are spread out. Ballot papers are taken from each box and they are counted. They can easily be mixed up. Once it is mixed up, it cannot be found which ballot paper is for whom. In the present system that is eliminated. A re-count would give the correct result.

The process of voting would be simplified. The process of counting would be simplified. In fact, the declaration of the Election Commission that the entire voting in the plains could be completed within three days is only possible because of the new system of counting.

When I say this, I am also prepared to admit that there may be certain areas where, having regard to the extreme backwardness of the people, distances to be travelled, it may not be possible to implement the new system of marking immediately. We shall leave it to the Election Commissioner to find out in which of the areas he thinks there should be exemption from the application of the new system. It is not for us to indicate. I have had a discussion with him and he will certainly study the fields over which this new system is to apply. I have no doubt that he will exempt those areas in which, because of the difficulties of communication and other reasons, it may be rather difficult for the Election Commissioner to apply the new system all at once. Let us also remember that in years to come, we shall soon have a very high state of literacy everywhere. The forecast is that, in the census of 1961, there will be 40 per cent. literacy in this country. Let us hope that the pace will be quickened. It is high time that we introduce such a system by and large with such exceptions as may be determined by the Election Commission from the data available and his own examination.

With these words, I regret to say that I have to oppose this Resolution, though I appreciate the sincerity with which it has been moved because it is designed to ensure that the common man exercises his franchise properly so that our elections reflect the will of the people as they must.

Shri Warior: One question, Sir, whether the ballot papers will be of a bigger variety and the ink easily evaporating, so that there will not be duplicating of the stamping.

Shri A. K. Sen: All the precautions will be taken, no doubt. Efforts are being made to improve it as much as possible.

श्री विभूति मिश्र : सभापति महोदय, मैं सब से पहले इलैक्शन कमिशन की प्रशंसा करना चाहता हूं कि उसने १९५२ और १९५७ के चुनाव और साथ ही साथ जो बीच में उप-चुनाव हुए हैं, उनको बड़ी ईमानदारी और परिश्रम के साथ कराया है।

मैं माननीय मंत्री जी की भी तारीफ करता हूं कि ईमानदारी के साथ उन्होंने मार्किंग सिस्टम को जारी किया है। लेकिन उन्होंने खुद ही अपने भाषण में इस बात को कबूल किया है कि जो डिसटैंट एरियाज हैं जो बकवर्ड एरियाज हैं वहां पर इस सिस्टम

[श्री विभूति मिश्र]

को जारी नहीं किया जाना चाहिये । ऐसा करके और ऐसा कह कर मैं समझता हूं कि उन्होंने मेरे रेजोल्यूशन के कुछ हिस्से को मान लिया है । शहरों में जारी किये जाने के वे हक में हैं लेकिन बैकवर्ड एरियाज के नहीं और उनके लिए उन्होंने कहा कि सिम्बल सिस्टम ही को जारी रखा जाना चाहिये ।

उन्होंने यह भी कहा है कि वोटर्ज इंटैलीजेंट हों । अब मैं कहना चाहता हूं कि यह पार्लियामेंट ही अगर इस बात की जांच नहीं कर सकती है कि वोटर इंटलीजेंट हैं या नहीं तो और कौन कर सकता है । अगर पार्लियामेंट के मैम्बर ही इंटैलीजेंट नहीं हैं तो और कौन इंटैलीजेंट हो सकता है । पार्लिमेंट के मैम्बरों को ही सारे देश का वारा न्यारा करना है, उन पर ही सब जिम्मेदारियां हैं और अगर पार्लियामेंट के मैम्बर ही वोट करने में गलती कर सकते हैं तो जो अनपढ़ भाई हैं वे गलती नहीं करेंगे, इसका क्या सबूत है । मैं समझता हूं कि हमारे सेन साहब मेरी इस बात से पूर्ण सहमत होंगे कि वोटर भी गलती कर सकते हैं और गलती करेंगे ।

माननीय मंत्री जी ने मैलोदा का उदाहरण दिया है और कहा है कि ८.६ परसेंट वोट बरबाद हुए हैं । लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि टोटल नम्बर कितना है जो रिजैक्ट हुए हैं । चूंकि वह वकील हैं, इस वास्ते उन्होंने ८.६ कह दिया है लेकिन टोटल फिगर नहीं दिया है । मैं समझता हूं कि ज्यादा वोट वहां रिजैक्ट हुए हैं ।

यह कहा गया है कि काउंटिंग में गड़बड़ी होती है । मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इस में कभी गड़बड़ी नहीं होती है । एक कैंडीडेट के पहले सारे वोट गिन लिये जाते हैं और उसके बाद बक्स में बन्द हो जाते हैं और उसके बाद ही दूसरे कैंडीडेट के वोट्स की गिनती होती है । मेरे इस प्वाइंट का मंत्री जी ने जवाब नहीं दिया है कि ४२ करोड़ बैलट पेपर और पंद्रह रोज के अन्दर हिन्दुस्तान में सिक्योरिटी के साथ छपवाये जा सकते हैं या नहीं छपवाये जा सकते हैं । मेरे भाई चौ० रणवीर सिंह ने कहा कि दस रोज पहले तक कैंडीडेट को अधिकार है कि अपना नाम विदड्रा कर ले । अब इसके बाद बैलट पेपर छपवाने के लिए कहां सेक्योरिटी है ? क्या यह सैंटर के अन्दर है या स्टेट्स के अन्दर है ? इसका जवाब सेन साहब ने नहीं दिया है । मैं इलैक्शन कमिशन से भी पूछना चाहता हूं कि पंद्रह दिन के अन्दर रिटर्निंग आफिसर से ले कर दिल्ली तक और दिल्ली से रिटर्निंग आफिसर तक ४२ करोड़ बैलट पेपर क्या वह छपवा पायेगा या नहीं छपवा पायेगा ? मैं ने आपके सामने अमरीका का उदाहरण दिया था । वहां पर मार्किंग सिस्टम है और वहां पर इस काम में मशीन को इस्तेमाल में लाया जाता है । वहां पर भी गलती हुई है ।

अब मैं श्री द्वा० ना० तिवारी जी को जवाब देना चाहता हूं । बिहार में ही सोनबारसा में चुनाव हुआ था और वहां पर रिजैक्टिड वोट्स का परसेंटेज ४.४ था । वहां पर २,१०६ वोट रिजैक्ट हुए ।

चौ० रणबीर सिंह: उम्मीदवार कितने वोट से जीता ?

श्री विभूति मिश्र: मैं वह बात नहीं कर रहा हूं, मैं यही बता रहा हूं कि कितने वोट रिजैक्ट हुए । यह इलैक्शन कमिशन की लिस्ट है और उसी के आधार पर मैं कह रहा हूं ।

अब मैं श्री राधे लाल व्यास को सूचनार्थ बतलाना चाहता हूं कि कवार्धा जोकि मध्य प्रदेश में है, वहां पर चुनाव हुआ था और वहां पर ३,१०८ वोट रिजैक्ट हुए और इसका परसेंटेज ६.२ बैठता है । मैं द्विवेदी जी को भी उड़ीसा का एक केस बतलाना चाहता

हुं । वहां पर नौरंगपुर में चुनाव हुआ था और उस में २,६२८ वोट रिजैक्ट हुए जिसका परसेंटेज ८.६ बैठता है । चार पांच हजार असैम्बली कंस्टिट्युएंसीज हैं और उन सभी में इतने अधिक वोट अगर बरबाद होते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि जिन भाइयों ने मेरे रेजोल्यूशन का विरोध किया है उनको वोट बरबाद होते हैं, या नहीं होते हैं, कोई फिक्र ही नहीं है । वे तो वोटों को घर की मूली के बराबर समझते हैं, चाहे जितने बरबाद हो जायें। हमारे प्रधानमंत्री शास्त्री जी ने खुद कहा कि ८-९ हजार वोट उनके बरबाद हुए ।

चौ० रणबीर सिंह : जो उम्मीदवार बैठ गया और उसके १२,००० वोट जो खराब हो गये वे अलग ।

श्री विभूति मिश्र : यह तो उनका सैल्फ एडमिशन है कि उनके ८-९ हजार वोट बरबाद हुए ।

किसी भी माननीय सदस्य ने नहीं कहा कि इस मार्किंग सिस्टम में सुधार की गुंजाइश नहीं है या इसमें कोई खराबी नहीं है । हमारे त्यागी जी ने कहा कि सुधार होना चाहिये । जितने भी माननीय सदस्यों ने इस बहस में भाग लिया है सभी ने कहा है कि सुधार होना चाहिये । मैं नहीं कहता कि मार्किंग सिस्टम फेल होगा । लेकिन फेल अगर होता है तभी तो सुधार की बात कही जाती है । जितने भी माननीय सदस्यों ने इसका विरोध किया है, मेरे रेजोल्यूशन का विरोध किया है सभी ने कबूल किया है कि यह सुधार हो, वह सुधार हो । आप वकील हैं और आप समझ सकते हैं कि इसका क्या मतलब हुआ । इसका मतलब हुआ कि कई गलतियां हैं जिन की वजह से दो बाई इलैक्शंस में यह फेल हो गया है । सुधार की बात सिम्बल सिस्टम में भी और मार्किंग सिस्टम में भी, दोनों में लागू होती है । इस वास्ते क्यों न पुराने सिस्टम को सुधार करके चालू रखा जाये ?

चेयरमैन साहब, रूल ४१ (जी) में यह साफ है कि वहां एजेंट बैठा रहेगा, कैंडीडेट बैठा रहेगा और वोटर को एजेंट के सामने बैलट पेपर ले जाना होगा । अब आप सोच सकते हैं, सेन साहब ऊंचे दर्जे के वकील हैं, उन्होंने त्याग किया है, वकालत छोड़ कर ला मिनिस्टर वह बने हैं, वह भी सोच सकते हैं कि गांव में आज दिन भी बड़े बड़े लोग रहते हैं और उनके सामने जा कर गरीब आदमी को वोट देना होगा और वह बड़ा आदमी उसको डरा धमका कर जिस को चाहेगा वोट दिलवा देगा और उसको कह देगा कि फलां बक्से में वोट डालो । उस गरीब आदमी को दिखलाना पड़ेगा कि वह उसको वोट दे रहा है या उसके कहने के मुताबिक वोट दे रहा है । मैं रूल का हवाला नहीं देना चाहता हूं, उसको पढ़ कर नहीं सुनाना चाहता हूं लेकिन ४१ (जी) में यही है । अब मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि कहां सीक्रेसी रही ? इस से आपकी सीक्रेसी नहीं रह पायेगी ।

एक बात मैं बक्से के बारे में कहना चाहता हूं । आज भी आप के ऊपर यह इलजाम लग सकता है कि बक्से को तोड़ करके दुबारा उस पर मुहर लगा दी गई है ।

आप कहते हैं कि मार्किंग सिस्टम में वोटर को एजुकेट किया जाये और उसको कहा जाये कि वह अपना वोट न बेचे । जहां तक वोट बेचने के बारे में उसको एजुकेट करने का ताल्लुक है वह तो दोनों सिस्टम्स में लागू होता है । आप यह भी कहते हैं कि कैंडीडेट जा कर उसको इंटैलीजेंटली एजुकेट करे । मैं पूछना चाहता हूं कि इस सदन में कितने माननीय सदस्य ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जिन्दगी का कुछ हिस्सा जनता की सेवा में लगाया है ? मैं अपने बारे में यह कह सकता हूं कि १९२० से आज दिन तक मेरी सारी जिन्दगी जनता की सेवा में लगी है । आज अगर किसी की उम्र तीस साल है, तो दस साल तो उसने मैट्रिक पास करने में लगाये, चार

[श्री विभूति मिश्र]

साल बी० ए० करने में लगाये, दो साल एम० ए० करने में लगाये, दो साल वकालत करने में लगाये, अब १८ साल लगाने के बाद भी और इतना अनुभव हासिल करने के बाद भी अगर वह वोट ठीक तरह से नहीं दे पाता है तो जो अनपढ़ है उससे आप कैसे आशा कर सकते हैं कि वह अपना वोट ठीक दे ।

जहां तक इलजाम लगाने का ताल्लुक है, वह कोई भी लगा सकता है । चाहे यहां धर्मराज भी आ कर बैठ जाये तो भी उसके खिलाफ इलजाम लगाये जायेंगे । किसी वक्त भी कोई इलजाम लगा सकता है । आप हमेशा यह कह सकते हैं कि हमारे अफसर हैं, मार्किंग करते वक्त वे कहते थे कि कांग्रेस के आगे मुहर वोटर लगाओ . . .

श्री अजीत सिंह (फिरोजाबाद) : यह तो आप करेंगे ही ।

श्री विभूति मिश्र : अभी वह चीज हुई नहीं लेकिन इन्होंने अभी से कहना शुरू कर दिया है ।

मैं कहूंगा कि हमारे यहां की इलैक्शंस की आज दुनिया भर में साख है । पहले हमारे सेन साहब इलैक्शन कमिशनर थे और अब दूसरे साहब हैं । उन्होंने हमारे मुल्क में ईमानदारी के साथ इलैक्शन करवाया और यह भी एक कारण था कि उनको सूडान में इलैक्शन करवाने के लिए बुलाया गया । अगली इलैक्शन के बाद भी जो हमारा विरोध करेंगे वे यह कहेंगे कि कांग्रेस का राज है, इस वास्ते कांग्रेस वालों ने इल्लिट्रेट वोटर्ज से अपने अफसरों द्वारा यह कहलवाया कि उन्हीं के नाम के आगे मुहर लगा तो । लेकिन मैं कहूंगा कि यहां पर जो इलैक्शन होते हैं वे निष्पक्ष ढंग से होते हैं और आपको इन इलजामों से घबराने की आवश्यकता नहीं है ।

मेरे प्रस्ताव के विरोध में त्यागी जी बोले हैं । दुःख है कि इस समय वह सदन में नहीं हैं । मेरा अपना खयाल है कि कुछ आदमियों का दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई आदि बड़े शहरों में रहने के कारण गांवों से सम्पर्क छूट गया है । वह गांवों के आदमियों की हालत को नहीं जानते । हमारे राधा रमण जी हैं वह भी दिल्ली के रहने वाले हैं । मैं तो चाहता हूं कि दिल्ली में मार्किंग सिस्टम जारी हो । मैं ने पहले ही कह दिया था कि दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, बम्बई आदि बड़े शहरों में इस सिस्टम को रखिये । मैं राधा रमण जी की बात की कीमत नहीं करता । मैं कीमत करता हूं चौधरी साहब की बात की, सरदार साहब की बात की, सेठ अचल सिंह जी की बात की . . .

एक माननीय सदस्य : वह तो शहर में रहते हैं ।

श्री विभूति मिश्र : शहर में उनका घर होने के यह मानी नहीं है कि वे गांव में नहीं रहते । उनकी कुटिया तो गांव में ही है ।

मैं सेन साहब से और इलैक्शन कमिशन से अपील करता हूं कि यह किसी पार्टी का सवाल नहीं है । मैं यह नहीं कहता कि यह कांग्रेस का या कम्युनिस्ट पार्टी का या सोशलिस्ट पार्टी का सवाल है । यह किसी पार्टी का सवाल नहीं है । यह तो देश की जनता का सवाल है । लेकिन आज हमारे यहां यह रिवाज सा हो गया है कि जो चीज रशिया में चल गयी या अमरीका में चल गयी तो हम अपने यहां भी उसको चलाना चाहते हैं । लेकिन वे हिन्दुस्तान की जनता की नब्ज को नहीं पहचानते । हिन्दुस्तान की जनता के सच्चे डाक्टर तो गांधी जी थे, वह जनता की नब्ज को पहचानते थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं जो कि जनता की नब्ज को पहचानते हैं । और दूसरे लोग हिन्दुस्तान की जनता की नब्ज को नहीं पहचानते ।

17 hrs.

एक भाई ने केरल के चुनावों का जिक्र किया । हमने इलैक्शन कमिशन से केरल की रिपोर्ट चाही थी लेकिन वह हमको नहीं मिल सकती । लेकिन मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि केरल के वोटर को सिखाने के लिए हिन्दुस्तान की सारी पार्टियों के लोग जमा हुए थे जब केरल में बाई इलैक्शन हुआ ।

Shri Warior: I would request him to at least put this particular portion in English so that I would understand it.

श्री विभूति मिश्र : केरल में जो बाई-इलैक्शन हुआ उसको कराने के लिए सारे हिन्दुस्तान की हर पार्टी के लोग गये थे और एक-एक वोटर को चार-चार आदमी सिखाने के लिये थे । तो केरल का इलैक्शन कोई उदाहरण नहीं है ।

जब जैनरल इलैक्शन होगा तो सारे हिन्दुस्तान में एक साथ होगा । उस समय हर एक अपनी अपनी कांस्टीट्यूएंसी में काम करेगा । जब अपनी दाढ़ी में आग लगेगी तो कौन किसी और को देखेगा और सिखायेगा । यह कहना तो एक टैकनिकल बात है कि लोगों को सिखाया जा सकता है । अगर ऐसा होता तो आज सारे लोग सज्जन हो गये होते और धर्मात्मा हो गये होते । राजा राम चन्द्र के राज में और राजा युधिष्ठिर के राज में भी यही कहा जाता था, लेकिन लोग शिक्षित नहीं हो पाये । वास्तविकता को देखते हुए मैं कहता हूं कि सेन साहब या इलैक्शन कमिश्नर हमारे साथ हिन्दुस्तान के देहात का पैदल दौरा करें तब उनको सही स्थिति का ज्ञान हो सकेगा ।

मेरे रिजोल्यूशन का किसी ने विरोध नहीं किया । जिन्होंने भी विरोध किया उन्होंने कहा कि नई पद्धति में सुधार किया जाय । मेरे रिजोल्यूशन को तो सभी ने कबूल किया है । जो सदस्य यह कहते हैं कि नयी पद्धति में सुधार होना चाहिए उसके तो मानी यही हैं कि वह ठीक नहीं है ।

सभापति महोदय : अब इस पर वोट लिया जाये या आप इसको वापस लेते हैं ?

श्री विभूति मिश्र : मैं इसको वापस लेना चाहता हूं ।

The Resolution was, by leave, withdrawn.

Mr. Chairman: Shri P. G. Deb—He is absent.

Shri Warior: I may be allowed to move my Resolution.

Ch. Ranbir Singh: It is already past 5 P.M.

Shri Braj Raj Singh: He may be allowed to move his Resolution. That is the practice in the House.

17.05 hrs.

RESOLUTION RE: ENHANCEMENT OF RATE OF CONTRIBUTION UNDER THE COAL MINES PROVIDENT FUND SCHEME

Shri Warior (Trichur): I beg to move the following Resolution:

"This House is of opinion that the rate of contribution under the